रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 16, 2016/माघ 27, 1937
No. 104] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 16, 2016/ MAGHA 27 , 1937

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(युवा कार्यक्रम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2016

सा.का.नि. 170(अ).—विद्या परिषद राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अधिनियम, 2012 (2012 का 35) की धारा 33 के साथ पठित धारा 34 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के निम्न अध्यादेशों को जारी करता है- अर्थात्,

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन अध्यादेशों का संक्षिप्त नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अध्यादेश, 2016 कहा है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन अध्यादेशों में जब तक संदर्भ के अनुरूप अन्यथा अपेक्षित न हों,

(क) अधिनियम से राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान "अधिनियम" से,

(ख) "छात्रावास" का अर्थ छात्रों के आवास के लिए भवन से है जिसमें आवास के बड़ा कदम अभिप्रेत है, भी शामिल है।

(ग) "रैगिंग" कोई कार्य अभिप्रेत है जो उसके द्वारा आचरण या व्यवहार जिसमें प्रभुत्वकारी शक्ति या वरिष्ठ छात्रों के दर्जे का प्रभाव कनिष्ठ का कोई विशेष रूप से ऐसे छात्र जिन्होंने अभी हाल ही में नामांकन कराया

है या अभ्यावेदित ऐसे छात्र, दूसरे जिन्हें दूसरे जिन्हें छात्रों, छात्रों पर डाला जाता है द्वारा किसी रूप में तुच्छ समझा जाता है और इसमें एक व्यक्ति या सामूहिक के कृत्य या व्यवहार शामिल होते हैं, जो हो सकते हैं ;

i. जो शारीरिक बल का उपयोग करने के लिए किया जाता है, भौतिक हमला या धमकी अंतर्वेदित है;
ii. स्त्री छात्राओं की स्थिति सम्मान और आदर का उल्लंघन करता है
iii. अनुसूचित जाति और जन जाति के छात्रों की प्रास्थिति सम्मान और आदर का उल्लंघन ;
iv. छात्रों का मज़ाक उड़ाना और अपमान करना जिससे उनके आत्म सम्मान में कमी आती है;
v. मौखिक रूप से बुरा व्यवहार, भाव तथा अश्लील व्यवहार, अशोभनीय हावभाव, आक्रामकता,

(घ) "छात्र" ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कोई भी व्यक्ति जिसने संस्थान में अध्ययन कार्यक्रम में पढ़ने के लिए प्रवेश लिया है और इनमें शोधार्थी भी सम्मिलित है जहां भी प्रासंगिक हो।

(ड.) हाव भाव या आचरण शामिल है फिर चाहे, टिप्पणी क या अन्य आचरण को करना जिसमें यौन प्रकृति की व्यक्ति द्वारा या उसे एक व्यसामूहिक तौर पर पुरुष द्वारा महिला और इसमें निम्नओं, के विरुध्ध किया गया हो। शामिल है :

i. छेड़छाड़ी
ii. भद्दी सूचक-टिप्पणियां
iii. ऐसे चुटकुले जिनसे शर्मिंदगी होती है या हो सकती है
iv. कटाक्ष और ताना मारना
v. महिला या पुरुषों के संदर्भ में अपमानजनक या यौन उन्मुख टिप्पणियां
vi. किसी भी रूप में जैसे टेलीफोन आदि पर अवांछित यौन टिप्पणियां
vii. शरीर के विरुद्ध छूना या हल्का स्पर्श आदि करना
viii. अश्लील या अन्य अपकारक या अपमानजनक तस्वीर पर्चे आदि दिखाना या बोली आदि, कार्टून आदि
ix. दूसरे की इच्छा के विपरीत शारीरिक रूप से परिरोध और अन्य कार्य जो किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन हो सकता है

(2) यहां प्रयुक्त सभी शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम और परिनियम में उन्हें उनके अर्थ वहीं होंगे जो अधिनियम और परिनियमों में परिभाषित किया गया है/परिभाषित किए गए हैं।

अध्याय 2
प्रवेश आरक्षण और परीक्षा

1. छात्रों का प्रवेश:

(1) अधिनियम और परिनियमों प्रति बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना समय समय पर शैक्षणिक परिषद द्वारा यथानुमोदित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार प्रवेश प्रक्रियाओं को निष्पादित किया जाएगा।

(2) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भर्ती किए जाने वाले छात्रों की संख्या को संबंधित विभाग की सिफारिशों के आधार पर समय समय पर स्कूल बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा विहित किया जाएगा।

(3) सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों में दाखिले के लिए न्यूनतम पात्रता अर्हताएं एक समान होंगी और विभिन्न स्कूल बोर्ड अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाएगा।

(4) दो वर्षीय मास्टर डिग्री कार्यक्रम में दाखिले के लिए यानि (वे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्च माध्यमिक +2) या उसके समतुल्य के तौर पर अनुमोदित किसी अन्य परीक्षा में भाग लिया है, उन पर पांच वर्षीय एकीकृत मास्टर्स

कार्यक्रम में अनन्तिम प्रवेश के लिए विचार किया जा सकता है बशर्ते कि वे स्कूल बोर्ड अध्यक्ष द्वारा विहित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(5) अपने अर्हक डिग्री कार्यक्रम के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले अभ्यर्थी पर मास्टर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अनंतिम रूप से विचार किया जा सकता है बशर्ते कि वे, स्कूल बोर्ड अध्यक्ष द्वारा विहित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और शैक्षणक परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(6) संस्थान के मास्टर डिग्री कार्यक्रम में अनंतिम रूप से दाखिला प्राप्त करने वाले हर छात्र द्वारा अर्हक डिग्री अनन्तिम प्रमाणपत्र की प्रतियों को प्रस्तुत किया जाएगा और साथ ही उन्हें संबंधित अन्य दस्तावेजों को भी विहित अवधि में प्रस्तुत करना होगा, जिनको शैक्षणिक परिषद् द्वारा विहित किया जाता है।

(7) एकीकृत मास्टर डिग्री कार्यक्रम के लिए संबंधित छात्रों को कार्यक्रम के केवल प्रथम वर्ष में ही दाखिला दिया जाएगा। किंतु स्कूल बोर्ड अध्यक्ष की सिफारिशों के आधार पर भी विचार किया जा सकता है।

(8) ऐसे छात्र का दाखिला जो या तो निर्धारित तारीख तक अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करता है अथवा अन्तिम या अन्यथा उसके दाखिले को निदेशक द्वारा रद्द कर दिया जाएगा, दाखिले के लिए किसी अन्य तय की गई अपेक्षा को पूरा नहीं करता है।

(9) यदि कार्यक्रम के दौरान यह पाया जाता है कि छात्र ने झूठा मिथ्या विवरण और दस्तावेज जमा करवाएं हैं या जाली प्रमाण पत्र अपने आवेदन में उसने इस प्रकार की संबंधित जानकारी को छिपाया है या किसी अन्य साधन के जरिए संस्थान के प्राधिकारियों के ध्यान में इस प्रकार की किसी अन्य अनियमितता को लाया जाता है तो उस छात्र के प्रवेश को तत्काल निदेशक द्वारा अध्ययन के कार्यक्रम के दौरान रद्द कर दिया जाएगा। निदेशक द्वारा इस विषय पर एक रिपोर्ट शैक्षणिक परिषद् को विनिश्चय की जाएगी।

(10) यदि किसी छात्र जिसे प्रवेश दिया गया है, तो उसके प्रवेश और उसे चिकित्सीय रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उसके दाखिले को रद्द कर दिया जाएगा।

(11) राष्ट्रीय सेवा स्कीम और नेहरू युवा केंद्र द्वारा नामित छात्रों सहित छात्रों के दाखिले गुणागुण पर आधारित होंगे जिसका अधिनिर्णयन जहां भी लागू होगा प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जिसका उद्देश्य छात्रों द्वारा संस्थान में उच्चतर शिक्षा अध्ययन के बारे में उनके ज्ञान, समझ-बूझ वस्तुनिष्ठ जानकारी का मूल्यांकन करना होगा। स्कूल बोर्ड द्वारा ऐसे मामले निर्धारित किए जा सकते हैं जहां मौखिक साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार आवश्यक हो सकते हैं। परंतु, ऐसे मामलों में जहां पर कुछ कार्यक्रमों में छात्रों की कम संख्या में दाखिले दिए जाते हैं वहां पर अर्हक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर निर्धारित मेरिट के अनुसार दाखिले दिए जाएंगे। इस संबंध में निर्णय निदेशक द्वारा प्रवेश समिति की सिफारिश के आधार पर लिया जाएगा और शैक्षणिक समिति के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(12) प्रवेश परीक्षा के प्रारूप को संस्थान द्वारा विनिश्चय किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा को मुख्यालयों में और संस्थान द्वारा समय-समय अनुमोदित विनिर्दिष्ट अन्य स्थानों पर आयोजित किया जाएगा।

(13) लिखित परीक्षाओं के लिए संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा प्रश्न बैंक तैयार किया जाएगा और उसे (परिक्षाओं) लिखित परीक्षा को अग्रेषित किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक द्वारा गोपनीय रूप से प्राप्त किए गए प्रश्न बैंक में से प्रश्न पत्र (पत्रों) को तैयार किया जाएगा ।

(14) प्रथम दृष्टया सभी दाखिले अनंतिम होंगे और एक निर्धारित समय सीमा, जिसे निदेशक द्वारा तय किया जाएगा, में उनकी पुष्टि की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी अधिकार के तौर पर दाखिले का दावा नहीं कर सकता है।

(15) किसी भी छात्र को सामान्य रूप से एक से अधिक कार्यक्रम में दाखिला नहीं दिया जाएगा। परंतु लेकिन, अंशकालिक रात्रिकालीन पीजी डिप्लोमा, प्रमाणपत्र कार्यक्रमों में जिन छात्रों को दाखिला दिया जाता है, उन्हें संस्थान के विभागों, स्कूलों या अन्य संस्थानों में नियमित कार्यक्रम में अध्ययन करने की अनुमति है और इसका विपरित भी।

(16) अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी होगा;

(17) दाखिले से संबंधित उपबन्धों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संस्थान द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों, विशेष कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और दूसरे पिछड़े वर्गों के छात्रों के दाखिले के लिए विशेष उपबन्ध किए जा सकते हैं।

(18) संस्थान द्वारा समय-समय पर विहित विनियमों के अनुसार अनिवासी भारतीय समुदाय और विदेशी छात्रों के दाखिले के लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं।

4. प्रवेश समिति: प्रत्येक वर्ष संस्थान के सभी कार्यक्रमों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए एक केन्द्रीयकृत प्रवेश समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे।

(क) निदेशक द्वारा नियुक्त किसी भी स्कूल का संकायाध्याक्ष उसका अध्यक्ष होगा।

(ख) निदेशक द्वारा नामित तीन अध्यापक, आचार्य, सह आचार्यों और सहायक आचार्यों में से एक-एक जिन्हें क्रमवार वरिष्ठता के आधार पर सदस्य बनाया जाएगा, सदस्य होंगे।

(ग) उपरोक्त प्रवर्ग में से किसी अध्यापक के उपलब्ध न होने की स्थिति में, निदेशक द्वारा संस्थान से किसी अन्य अध्यापक को सदस्य नियुक्त किया जा सकता है।

(घ) निर्देशक द्वारा एक सदस्य अनुसुचित जाति या अनुसुचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या स्त्री को नियुक्त किया जाएगा, यदि पहले से वह प्रतिनिधित्व नहीं करता है, परंतु पचास प्रतिशत से कम कुल समिति के सदस्यों में गणपूर्ति करें।

5. दाखिला समिति का कर्तव्य: (1) प्रवेश समिति के निम्न कर्तव्य होंगे अर्थात,

(क) समय-समय पर संबंधित स्कूल बोर्डों द्वारा विहित किए गए पात्रता शर्तों, मानदण्डों के अनुसार अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों का प्रवेश के लिए संवीक्षा करना।

(ख) प्रवेश परीक्षा संबंधित अध्ययन के कार्यक्रम में दाखिले के लिए प्रत्येक श्रेणी से समुचित संख्या में उम्मीदवारों को आमंत्रित करना, जो उनके द्वारा दाखिले की प्रवेश परीक्षा में अर्जित न्यूनतम कट-ऑफ अंकों या प्रगतिशील यदि कोई हैं, जैसा कि दाखिला समिति द्वारा विहित किया जाता है, के अध्यधीन होगी,

(ग) प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार में अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार करना,

(घ) दाखिले के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की सूची को तैयार करना जिसे प्रवेश समिति के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन के लिए निदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा,

2. संस्थान डाक्टर ऑफ फिलास्फी के समकक्ष शोध में प्रवेश या नामंकन हेतु शर्तें को तैयार करेंगा।

6. पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों का पुन: प्रवेश: (1) ऐसे छात्र जिन्होंने अपने अध्ययन को जारी नहीं किया है और जिन्होने अपना अंतरण प्रमाणपत्र नहीं लिया है, वे संबंधित वर्ष, सत्र में पुन: दाखिले के पात्र होंगे परंतु अध्ययन के संबंध में कुल ब्रेक की अवधि 2 शैक्षणिक वर्षों से अधिक नहीं है, अंतराल की अवधि के लिए फीस, अन्य देय राशियों के विप्रेषण और दाखिला समिति की सिफारिशों के अध्यधीन ऐसा किया जा सकेगा।

(2) ऐसे छात्र जिन्होने स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, उन पर केवल नए प्रवेश के लिए ही विचार किया जाएगा।

7. प्रवेश में आरक्षण: (1) स्थानों के लिए सीटों के लिए आरक्षण केन्द्रीय शैक्षणिक शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण अधिनियम, 2006 के संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी और संशोधित परिपत्रों के अनुसार किया जाएगा।

i. आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत दाखिला प्राप्त करने वाले छात्रों को डिग्री अध्ययन कार्यक्रमों में दाखिले के लिए विहित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।

ii. यदि किसी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा साधारण प्रवर्ग में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त की जाती है तो उसे उस श्रेणी में पहले से ही आवंटित सीटों की संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना साधारण प्रवर्ग में अंतरित कर दिया जाएगा, इस प्रकार के अंतरण से रिक्त होने वाली सीट को आरक्षित श्रेणी के अगले पात्र अभ्यर्थी को दिया जाएगा।

iii. यदि अन्य पिछड़ा वर्ग या अशक्त जन व्यक्तियों में से पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो इस प्रकार की रिक्त सीटों को सामान्य श्रेणी में अंतरित कर दिया जाएगा।

(2) आरक्षण विनिमेय योग्य है अर्थात् यदि अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो उन्हें अनुसूचित जाति के उपयुक्त अभ्यर्थियों से भरा जाएगा और इसके विपरीत भी किया जाएगा।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अशक्त जन के वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को अर्हक परीक्षा में प्राप्तांक पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

(4) उपरोक्त श्रेणियों के उम्मीदवार के आवेदन पप्रत्र को भारत सरकार द्वारा विहित किसी एक प्राधिकरण द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) बिना जाति प्रमाणपत्र के प्राप्त आवेदन प्रारुप को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(6) संस्थान द्वारा आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी मंत्रालय के दिशा निर्देशों को कार्यान्वित किया जाएगा।

8. प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध: यहां आरक्षण की विर्निदिष्ट प्रवर्गों विशेष श्रेणीयों के लिए निम्न विशेष उपबंध है अर्थात्,

उत्कृष्ट खिलाड़ी:

(क) पूर्व स्नातक दोनों कार्यक्रमों में शैक्षणिक परिषद् द्वारा एक विशिष्ट संख्या में स्थानों को उत्कृष्ट खिलाड़ियों के प्रवेश के लिए अभिचिन्हित किया जाएगा जिन्होने अपने विश्वविद्यालयों संबंधित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया है, परंतु वे संबंधित कार्यक्रम में दाखिले के लिए विहित न्यूनतम पात्रता अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों को अर्हक परीक्षा में कुल अंकों में पाँच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

(ग) खेलकूद प्रमाणपत्र के आधार पर अंकों में छूट केवल तभी अनुमेय होगी जब व्यायाम निदेशक द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित और दाखिला समिति द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है।

राष्ट्रीय कैडिट कोर (एन.सी.सी):

(क) सभी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए निम्नलिखित एनसीसी प्रमाण-पत्र धारक एनसीसी कैडेट्स को अर्हक परीक्षा में कुल अंकों में दो प्रतिशत की छूट दी जाएगी:

i. अंडरग्रेजुएट कार्यक्रम में प्रवेश के लिए 'ए' प्रमाणपत्र;

ii. स्नातकोतर कार्यक्रम में दाखिले के लिए 'बी' या 'सी' प्रमाणपत्र;

(ख) एनसीसी प्रमाणपत्र के आधार पर अंकों में छूट केवल तभी अनुमेय होगी जब एनसीसी अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित और दाखिला समिति द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस. स्वयंसेवक)

(क) एनएसएस स्वयंसेवक जिन्होनें दस दिनों के दो विशेष कैम्प तथा एक राष्ट्रीय एकीकरण कैम्प या गणतंत्र दिवस कैम्प में भाग लिया है, उन्हें सभी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अर्हक परीक्षा में कुल अंकों में दो प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

(ख) एनएसएस प्रमाणपत्र के आधार पर अंकों में छूट केवल तभी अनुज्ञेय होगी जब एनएसएस अधिकारी, समन्वयकर्ता द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और दाखिला समिति द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है।

ऐसे छात्रों पर निदेशक द्वारा दाखिला समिति की सिफारिश पर प्रत्येक कार्यक्रम के लिए आवंटित स्थानों के अलावा विचार किया जाएगा।

टिप्पण: किसी भी स्थिति में कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हक परीक्षा के लिए न्यूनतम विहित किए गए अंकों में छूट पाँच प्रतिशत से अधिक नही होगी।

विदेशी छात्र:

(क) कार्यक्रम में प्रवेश दिए गए अधिसंख्या स्थानों के रूप में कुल छात्रों की संख्या से विदेशी छात्रों के प्रवेश दाखिले बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे, बशर्ते कि वे प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं और शैक्षणिक परिषद् द्वारा समय पर निर्धारित अन्य शर्तों को अधिकाधिक पूरा करते हैं।

(ख) उपरोक्त उपबन्ध के अलावा, विदेशी छात्र जिन्हें संबंधित देशों द्वारा प्रायोजित किया जाता है और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है, उन्हें भी विभिन्न स्कीमों में विहित शर्तों के अनुरूप प्रवेश दिया जाएगा।

(ग) प्रत्येक विदेशी छात्र को दाखिले की तारीख के एक हफ्ते के भीतर एक चिकित्सा जांच (एड्स के लिए जांच सहित) करवानी होगी।

(घ) विदेशी छात्र जिन्हें कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है, उन्हें प्रवेश के समय या दाखिले को पूरा करने के एक महीने के भीतर छात्र वीज़ा प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समय के भीतर इस प्रकार के प्रमाणपत्र को पेश करने में असफल रहने पर दाखिला रद्द कर दिया जाएगा।

(ड.) विदेशी राष्ट्रों के सभी आवेदनों को भारत सरकार के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अध्याय 3

कार्यक्रमों, उपाधि, परीक्षा

9. अध्ययन कार्यक्रम:

संबंधित स्कूल बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की सिफारिश तथा समय-समय पर शैक्षणिक परिषद् के अनुमोदन के अनुसार संस्थान द्वारा डिग्रियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र देने के लिए संस्थान में अध्ययन कार्यक्रम चलाए जाएगें।

10. कार्यक्रम और उनकी अवधि:

(1) अध्ययन कार्यक्रम और उनका कार्यकाल निम्न होगा अर्थात:

(i) स्नातक कार्यक्रम: स्नातक कार्यक्रम की अवधि तीन वर्ष होगी जिसका विस्तार छह सत्रों में होगा।

(ii) पांच वर्षीय एकीकृत मास्टर कार्यक्रम: डिग्री कार्यक्रम पूर्व स्नातक पांच वर्ष का होगा, जिसमें दस सत्र शामिल होंगे, जिसमें तीन वर्ष (छह सत्रों) के बाद बाहर निकलने का विकल्प होगा जिसमें पूर्व स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी तथा चौथे वर्ष (सातवें सत्र) की शुरूआत पर पार्श्विक प्रवेश का विकल्प उपलब्ध होगा, इस प्रकार स्नातकोत्तर कार्यक्रम की अवधि दो वर्ष (चार तिमाहियों) की होगी।

(iii) मास्टर कार्यक्रम: मास्टर कार्यक्रम की अवधि दो वर्ष अर्थात चार सत्रों की होगी। (सत्र प्रणाली के अंतर्गत)

(iv) **डॉक्टर ऑफ फिलोस्फी कार्यक्रम:** डॉक्टर ऑफ फिलोस्फी कार्यक्रम की अवधि समय-समय पर विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित किए गए अनुसार होगी।

(v) **डिप्लोमा और प्रमाणपत्र कार्यक्रम:** डिप्लोमा प्रमाणपत्र कार्यक्रम की अवधि संस्थान द्वारा तय की जाएगी और समय-समय पर उसका अनुमोदन शैक्षणिक परिषद् द्वारा किया जाएगा।

2. संस्थान को किसी कार्यक्रम मे उसमें संशोधन करने या बंद करने का और आरंभ का अधिकार होगा।

11. डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र देने की शर्तें (नियमित कैंपस में):

(1) सभी अध्ययन कार्यक्रमों जिनके पूरा होने पर डिग्रियां, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं उनका आयोजन संस्थान द्वारा और स्थापित स्कूलों द्वारा संचालित किया जाएगा।

(2) अध्ययन कार्यक्रमों के लिए संरचना और विनियमों को संबंधित स्कूल बोर्ड की सिफारिशों पर शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाएगा;

(3) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या और पठन सामग्री को संबंधित विभागीय बोर्ड्स द्वारा विहित किया जाएगा।

12. उपस्थिति:

स्कूल या विभाग द्वारा संचालित किसी डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र कार्यक्रम के लिए प्रत्येक विषय के लिए वास्तव में आयोजित कक्षाओं में छात्र की कम से कम नब्बे प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी;

यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित स्कूल के संकायाध्यक्ष की सिफारिशों पर संस्थान के निदेशक द्वारा चिकित्सा आधार पर अधिकृत चिकित्सक के चिकित्सा प्रमाणपत्र पेश किए जाने पर दस प्रतिशत से अनधिक उपस्थिति में कमी को माफ किया जा सकता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित स्कूल के संकायाध्यक्ष की सिफारिशों पर संस्थान के निदेशक द्वारा चिकित्सा कारणों के अलावा अन्य मान्य और पुष्ट कारणों के आधार पर पाँच प्रतिशत से अनधिक उपस्थिति में कमी को माफ किया जा सकता है।

आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संस्थान द्वारा राष्ट्रीय, अंतरर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजे गए छात्रों को उपस्थिति संबंधी अपेक्षाओं में छूट दी जाएगी। इस प्रकार की छूट निदेशक के अनुमोदन से कार्यक्रम में वास्तविक भागीदारी के दिनों के लिए और उन कार्यक्रमों के लिए यात्रा की अवधि के लिए दी जाएगी।

13. अध्येतावृति अध्येतावृति, वृत्तिदान, पदकों और पुरस्कार देने की शर्तें:

(1) शैक्षणिक परिषद् की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद् द्वारा यथावश्यक अध्येतावृतियों, पदकों वृत्तिदानों, वज़ीफों और पुरस्कारों को स्थापित किया जा सकता है।

(2) शैक्षणिक परिषद् द्वारा इस प्रकार की अध्येतावृतियों, अध्येतावृति, पदकों वृत्तिदानों, वज़ीफो और पुरस्कारों के लिए नियम और शर्तें विहित की जाएंगी और वे कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन के अधीन होंगे। वृत्तिदानों के मामले में, कार्यकारी परिषद् द्वारा वृत्तिदानों को देने वाले व्यक्ति द्वारा पेश किए गए नियमों और शर्तों पर विचार किया जाएगा और उचित निर्णय लिए जाएंगे।

(3) संस्थान द्वारा अध्ययन के हर पहले और दूसरे रैंक धारक को मैरिट छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। छात्रवृत्ति की राशि को संस्थान द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

(4) सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों, फैलोशिप्स, फ्रीशिप्स, वज़ीफों आदि को निदेशक द्वारा गठित समिति द्वारा संस्थान के स्तर पर निर्णित किया जाएगा।

14. परीक्षा निकायों, परीक्षकों और परीक्षा नियंत्रकों की नियुक्ति तथा उनके कर्त्तव्यों:

(1) स्कूल बोड्र्स ऑफ स्टड्डीज़ द्वारा परीक्षकों के पैनल्स को प्रस्तावित किया जाएगा और शैक्षणिक समिति द्वारा उनकी सिफारिश की जाएगी। परीक्षकों का चयन और नियुक्ति इसके द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

(2) प्रत्येक परीक्षा के लिए दो परीक्षक बोड्र्स होंगे, प्रश्न पत्रों को तैयार करने तय करने और उनकी संवीक्षा करने, पेपर तैयारकर्ता का बोर्ड, और दूसरा उत्तर पुस्तिकाओं को अंक प्रदान करने और परिणामों को तालिकाबद्ध करने के लिए (मूल्यांनकर्ताओं का बोर्ड) हर बोर्ड का एक अध्यक्ष होगा।

(3) मूल्यांकनकर्ताओं के बोर्ड द्वारा समेकित परिणामों को परीक्षा नियंत्रकों को अग्रेषित किया जाएगा जो निरन्तर आकलन और अंत-सत्र परीक्षाओं से युक्त होगा।

(4) परीक्षा नियंत्रकों द्वारा इस प्रकार के समेकित परिणामों को उनके प्रकाशन से पूर्व निदेशकों को प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) प्रश्न पत्रों के तैयारकर्ता की पदावधि दो वर्ष की होगी। लेकिन, दो वर्ष के अंतराल पर उनके नामों पर एक और पदावधि के लिए विचार किया जा सकेगा।

(6) परीक्षकों के बोर्ड में बोर्ड के अध्यक्ष और दो अन्य पेपर तैयारकर्ता शामिल होंगे ताकि वे प्रश्न पत्रों की संवीक्षा कर सकें और विहित परिपाटी और पाठ्यक्रम की अपेक्षाओं को पूरा किए जाने को अधिप्रमाणित कर सकें।

(7) मूल्यांकनकर्ताओं के बोर्ड में अध्यक्ष और दो मूल्यांकनकर्ता होंगे जो संस्थान के अंत-सत्र परीक्षाओं के उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन करेंगे।

(8) निदेशक द्वारा निर्णित किए गए अनुसार सभी उत्तर पत्रकों का केन्द्रीय या डोर मूल्यांकन किया जाएगा। उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन आंतरिक परीक्षक (संकाय सदस्य जिसने पाठ्यक्रम को पढ़ाया था) और शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित परीक्षकों के पैनल में से नामित बाह्य परीक्षक द्वारा किया जाएगा।

15. परीक्षाओं का आयोजन:

(1) परीक्षा नियंत्रक द्वारा शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदित और पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या के अनुसार परीक्षाओं की समय सारणी को अधिसूचित और परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा।

(2) सभी नियमित और पात्र छात्र अर्थात ऐसे छात्र जिन्होने न्यूनतम उपस्थिति को पूरा करने के बाद अध्ययन के कार्यक्रम के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए संस्थान में नियमित अध्ययन कार्यक्रम को पूरा किया है और कार्यक्रम के संबंध में विनियमों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अपेक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, वे संस्थान की परीक्षाएं दे सकेंगें।

(3) परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षाओं के निर्बाध संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी, शैक्षणिक परिषद् द्वारा निर्णित किए गए अनुसार मूल्यांकन का समयानुसार प्रस्तुतीकरण और परिणामों की घोषणा की जाएगी।

(4) परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्रों को तैयार करने, उनके मूल्यांकन, प्रमाणपत्रों को जारी करने, शिकायतों, अनुशासनात्मक कार्रवाईयों आदि के बारे में परीक्षाओं के आयोजन के लिए नियम पुस्तिका में दिए गए निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जाएगा।

अध्याय 4

अनुशासन

16 अनुशासन का अनुरक्षण:

(1) संस्थान के प्रत्येक छात्र द्वारा अनुशासन का पालन किया जाएगा, जिसमें बेहतर आचरण और सुव्यवस्थित व्यवहार शामिल है, उसे हर जगहों पर शालीनतापूर्वक व्यवहार करना अपना कर्तव्य माना जाएगा।

(2) कोई भी छात्र इधर-उधर नहीं घूमेगा और ऐसे स्थानों या क्षेत्रों में नहीं जाएगा जिनमें संस्थान द्वारा बिना अनुमति के प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।

(3) हर छात्र द्वारा हर समय रजिस्ट्रार द्वारा जारी अपना पहचान पत्र साथ रखा जाएगा तथा संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा जब अपेक्षित होगा उसे दिखाना या अभ्यर्पित करना होगा।

17. अनुशासनहीनता:

संस्थान के छात्रों के लिए अनुचित समझे जाने वाले सभी कार्यों को अनुशासनहीनता के कार्य माना जाएगा, और इनमें निम्न शामिल होगा:

(i) उपस्थिति में अनियमितता:

(ii) सौंपे गए कार्य के प्रति उदासीनता:

(iii) कक्षा या कार्यालय या पुस्तकालय या ऑडिटोरियम या खेल के मैदान में बाधा पैदा करना,

(iv) संस्थान के अध्यापकों या प्राधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करना

(v) छात्र निकायों के चुनावों के समय या छात्रों की बैठकों या पाठ्यक्रम संबंधी या पाठ्यक्रम से इतर गतिविधियों के दौरान दुराचार दुर्व्यवहार करना

(vi) परीक्षा हॉल में दुराचार दुर्व्यवहार, किसी अध्यापक निरीक्षक, कर्मचारी, संस्थान के आगंतुक के प्रति दुराचार दुर्व्यवहार,

(vii) संस्थान की चल-अचल सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना;

(viii) छात्रों को उपरोक्त एक या अधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाना;

IndiaCode

(ix) छात्रों में अफवाहें फैलाना और झूठा प्रचार प्रसार करना और सहपाठी छात्रों को गुमराह करना;

(x) लैंगिक उत्पीड़न का कोई कार्य या स्वरूपनस्ल रैगिंग या जाति, श्रेणी, धर्म, नस्ल और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करना;

(xi) विधि-विरूद्ध क्रियाकलापों में शामिल होना जिनमें प्रतिबंधित संगठनों की सदस्यता, सक्षम प्राधिकारियों की उचित अनुमति के बिना बैठकों का आयोजन करना या जलूस आदि निकालना;

(xii) संस्थान के परिसरों में शराब आदि पेय पदार्थों और प्रतिबंधित नशीले पदार्थों को धारण करना और सेवन करना;

(xiii) तंबाकू, पान मसाला, नीर, गुटखा, सुपारी, जर्दा और ऐसे अन्य तत्वों का सेवन;

(xiv) संस्थान के कैंपस में धूम्रपान करना; और

(xv) कहीं भी किया जाने वाला कोई अन्य कार्य जिसे छात्र के लिए अनुचित माना जाता है।

18. छात्रावास में अनुशासन:

(1) छात्रावास में अनुशासन वार्डन, सहायक वार्डन और निवासी अध्यापकों के नियंत्रणाधीन होगा।

(2) छात्रावास में चिल्लाने, सीटी बजाने या किसी अन्य तरीके से हंगामा करने को अनुशासन का अतिक्रमण माना जाएगा। इसके लिए एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें उल्लंघनकर्ता का नाम दर्ज किया जाएगा जिसकी सूचना वार्डन को दी जाएगी;

(3) छात्रावासों में धूम्रपान पूरी तरह से प्रतिबंधित है;

(4) यदि छात्रों के पास शराब या नशीले पेय पदार्थ या अन्य नशीली वस्तुओं के प्रभाव में पाए जाने पर उन्हें कड़ी चेतावनी दी जाती है कि इसे गंभीर और संज्ञेय अपराध माना जाएगा। यदि ब्रीथ एनालाइज़र से अपराध की पुष्टि होती है, तो इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें छात्रावास से निकालना शामिल है;

(5) छात्रावास में रहने वाले छात्रों को वार्डन की लिखित अनुमति के बिना छात्रावास में किसी भी प्रकार की बैठक बुलाने की अवज्ञा नहीं है;

(6) छात्रावास में रहने वाले छात्रों को वार्डन की लिखित अनुमति के बिना छात्रावास में किसी भी नोटिस को लगाने की अनुमति नहीं है;

(7) छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्रावास के कर्मचारियों के काम में बाधा नहीं पहुंचाएंगे और यदि दुराचार का कोई मामला पाया जाता है, तो उसे उचित कार्रवाई के लिए वार्डन को बताया जाएगा;

(8) छात्रावास में रहने वाले छात्रों को वार्डन की अवज्ञा के सिवाए पढ़ाई के घंटों के दौरान और किसी ऐसे अन्य समय पर छात्रावास में नहीं रहना चाहिए जब उनसे संस्थान में उपस्थिति रहने की आशा की जाती है;

(9) ऑडियो सिस्टम कम्प्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को केवल वार्डन की पूर्व अनुमति से ही चलाया जा सकता है। इस प्रकार के उपकरणों के प्रयोग से संबंधित् नियम और शर्तों को समय-समय पर तय किया जाएगा। रात्रि 9:00 बजे के बाद ऑडियो सिस्टम को नहीं चलाया जाएगा।

(10) ऐसा छात्र जिसका नाम संस्थान की नामावली से हटा दिया जाता है, इसी तथ्य के आधार पर ही उसकी छात्रावास सदस्यता समाप्त हो जाती है, तथा उसे कमरे को अवश्य खाली कर देना चाहिए;

IndiaCode

(11) छात्रों द्वारा किसी पॉवरयुक्त वाहन को धारित नहीं किया जाएगा;

(12) छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र अपने-अपने कमरों में रात्रि 8:30 तक लौट आएंगे;

(13) यदि किसी छात्र की उपस्थिति को छात्रावास के अनुशासन के लिए अहितकर माना जाता है तो वार्डन को उस छात्र को छात्रावास से निकालने के लिए पूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं;

(14) किसी भी पुरूष छात्र को स्त्रियों के छात्रावास के आस-पास घूमते हुए नहीं पाया जाना चाहिए। और इसका विपरित भी।

19. भोजनालय में अनुशासन:

(1) भोजनालय प्रभार विभाजन प्रणाली पर आधारित होंगे।

(2) छात्रावास में रहने वाले छात्रों और उनके अतिथियों को बिना अनुमति के रसोई में प्रवेश नही करना चाहिए।

(3) छात्रावास में रहने वाले छात्र उन्हें आवंटित भोजनालयों में ही भोजन करेंगे और उन्हें वार्डन द्वारा यथा अधिसूचित भोजनालय की निर्धारित समय सारणी का अवश्य पालन करना होगा।

(4) जब भी छात्रावास में रहने वाला कोई छात्र विधिमान्य कारण से सात दिन से अधिक की अवधि के लिए छात्रावास से दूर होगा, तो केवल दो दिन से अधिक की अवधि के बाद के दिनों के लिए ही भोजनालय के प्रभारों में कटौती की अनुमति होगी, कटौती के लिए विहित प्ररूप में भली भांति अग्रिम रूप से इस आशय का आवेदन किया जाता है।

(5) छात्रावास में रहने वाले छात्रों को सभी देय राशियों का समय पर भुगतान करना होगा और ऐसा न करने की स्थिति में उन्हें छात्रावास को खाली करना होगा। परंतु उन्हें देय राशि के साथ देरी से भुगतान करने के लिए जुर्माने की राशि, जिसे समय-समय पर विहित किया जा सकता है, का भुगतान करने पर वहां ठहरने दिया जाएगा।

(6) निवासियों को पिछले महीने के भोजनालय फीस और कमरे के किराए को एक साथ अगले महीने की 10 तारीख तक बिना जुर्माने के और समय-समय पर विहित किए गए जुर्माने की राशि के साथ अगले महीने की 15 तारीख या उससे पहले अदा करना होगा, 15 तारीख के बाद चूककर्ताओं को छात्रावास को खाली करना होगा और उनकी जमा राशि में उनके छात्रावास के लिए देय राशि को समायोजित कर लिया जाएगा।

(7) हर छात्र जो कि परिसर के भीतर रहता है, वह भोजनालय में शामिल हो सकता है, फिर चाहे उसकी रूचि कुछ भी क्यों न हो।

(8) हर महीने भोजनालय के बिलों को माता-पिता/अभिभावकों/ छात्र को भेजा जाएगा, ताकि समय पर देय राशि का भुगतान करने के उत्तरदायित्व को वहन कर सकें।

(9) भोजनालय बिलों का भुगतान राजीव गांधी युवा विकास संस्थान के कार्यालय पर किया जाएगा।

20. साधारण मार्ग दर्शक सिद्धांत :

(1) छात्रावास के निवासियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को छात्रावास परिसर में ठहरने की अनुमति नहीं है;

(2) कोई भी छात्र यदि बीमार हो जाता है तो उसे अपनी लागत पर सरकारी अस्पताल की सुविधाओं को प्रयोग करने या समीपवर्ती स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधाओं का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है और साथ ही उसे वार्डननिवासी अध्यापक को सूचित करना चाहिए;

(3) छात्रावास में रहने वाले छात्रों की किसी हानि या उनके यहां पर हुई चोरी के लिए छात्रावास प्राधिकारी जिम्मेवार नहीं होंगे। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्थाएं करनी चाहिए;

(4) छात्रावास में रहने वाले छात्रों को संस्थान की सम्पत्ति की सुरक्षा और अभिरक्षा को कड़ाई से सुनिश्चित करना होगा;

21. परीक्षाओं के दौरान छात्रों द्वारा अनुशासन का अनुपालन:

(1) प्रवेश परीक्षा:

(क) प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा के दौरान छात्र परीक्षा केन्द्र के मुख्य परीक्षा अधीक्षक के अनुशासनात्मक नियंत्रण के अंतर्गत आएंगे जिसके द्वारा आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएंगे। यदि किसी छात्र द्वारा निर्देशों की अवहेलना की जाती है या पर्यवेक्षी कर्मचारियों या केन्द्र में किसी निरीक्षक के साथ दुर्व्यहार किया जाता है, तो उसे उस सत्र की परीक्षा से बाहर निकाला जा सकता है।

(ख) मुख्य अधीक्षक द्वारा तत्काल परीक्षा नियंत्रक को साक्ष्य के पूरे ब्यौरे के साथ ऐसे मामले के तथ्यों की रिपोर्ट करनी होगी जिसके द्वारा इस विषय को निदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) अंतसत्र परीक्षाएं:

(क) अंतसत्र परीक्षाओं का परीक्षा नियंत्रक द्वारा मुख्य परीक्षा अधीक्षक के पर्यवेक्षण में आयोजित किया जाएगा। वह परीक्षाओं के न्यायपूर्ण और व्यवस्थित आयोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) यदि अनुचित तरीकों को इस्तेमाल किया जाने का पता लगता है, उसे आगे कार्रवाई करने के लिए परीक्षा नियंत्रक के ध्यान में लाया जाएगा जो निदेशक के माध्यम से इस विषय को अनुशासन समिति को प्रस्तुत करेगा।

22. अनुचित तरीकों का उपयोग:

(1) निम्नलिखित गतिविधियों को अनुचित तरीके माना जाएगा: अर्थात

(i) संबंधित परीक्षा के विषय से जुड़े या न जुड़ी गलत सामग्रियों को धारण करना;

(ii) दूसरे उम्मीदवारों की सहायता करने की कोशिश करना;

(iii) आसपास बैठे उम्मीदवारों से विचार विमर्श करना;

(iv) परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निरीक्षक से विचार विमर्श करना;

(v) पक्षपात करने या दया करने की याचना करना;

(vi) कलर श्रेड या रंगीन पेंसिल के साथ किसी पहचान को चिन्हित करना;

(vii) उत्तर पत्रक में गंदे या अवांछित शब्दों को लिखना;

(viii) अपने पास रखी सामग्री से नकल मारना या पड़ौसियों की नकल मारना या उत्तर पत्रकों को विनिमय करना;

(ix) उत्तर पत्रकों या संबंधित सामग्रियों का आदान प्रदान करना;

(x) उत्तर पुस्तिका के किसी हिस्से में अभ्यर्थियों का नाम लिखना, या अपेक्षित जगह के अलावा कहीं और रजस्ट्रीकरण नम्बर लिखना;

(xi) वादे, यदि कोई है, के साथ विचारार्थ याचना करना;

(xii) दुराचार में दूसरे व्यक्ति से सहायता प्राप्त करना;

(xiii) नकल मारने के लिए स्थान बदलना;

(xiv) मुख्य उत्तर पत्रक में किसी दूसरे अभ्यर्थी की रजिस्ट्रीकरण संख्या लिखना:

(xv) पहले से ही उत्तर लिखी उत्तर पत्रिकाओं को लगाना (मुख्य पत्रक या अतिरिक्त पत्रक);

(xvi) मुख्य अधीक्षक और हॉल अधीक्षक द्वारा यथाप्रतिवेदित रूप में परीक्षक को धमकाना या अवज्ञाकारी व्यवहार को दर्शाना;

(xvii) दुराचार के प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स का प्रयोग करना;

(xviii) पैसे का लालच देना (करेंसी नोट लगना आदि);

(xix) जानबूझकर उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा हॉल से दूर ले जाना;

(xx) किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा में बैठने से जुड़े मामले;

(xxi) दूसरे निकायों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों में नामाक्षरों, आद्याक्षरों आदि में हेर-फेर करना और इस प्रकार के प्रमाणपत्रों को दाखिले के समय संस्थान के समक्ष प्रस्तुत करना;

(xxii) अन्य निकायों द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्रों में हेर-फेर करना तथा इस प्रकार के प्रमाणपत्रों को प्रवेश के समय संस्थान के समक्ष प्रस्तुत करना;

(xxiii) संस्थान द्वारा जारी ग्रेड प्रमाणपत्रों या अन्य प्रमाणपत्रों में हेर-फेर करना।

(2) जहां पर प्रभारी परीक्षक इस बात को लेकर समाधान है कि एक तिहाई या अधिक छात्र अनुचित तरीकों के उपयोग में शामिल थे या किसी खास परीक्षा हॉल में नकल मार रहे थे, तो इसे बड़े पैमाने पर नकल मारने को सामुहिक नकल माना जाएगा।

(3) शैक्षणिक परिषद् द्वारा किसी भी तरह की चूक को परीक्षाओं के संबंध में संस्थान में अनुचित तरीका दंडनीय अपराध माना जा सकता है जैसा कि इसके द्वारा आवश्यक समझा जाता है।

(4) यदि निदेशक इस बात को लेकर समाधान है कि बड़ें पैमाने पर नकल की गई या बड़े पैमाने पर अनुचित साधनों का उपयोग किया गया है, तो वह सभी संबंधित अभ्यर्थियों की परीक्षा को रद्द कर देगा और फिर से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

23. अनुचित साधनों के खिलाफ कार्यवाही का तरीका:

(1) परीक्षा केन्द्र के मुख्य परीक्षक द्वारा बिना देरी के परीक्षा नियंत्रक को यदि संभव है तो घटना के दिन पर उस प्रत्येक मामले की जानकारी दी जाएगी जिसमें परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग का संदेह था या ऐसा होने का पता लगाया गया था जिसके साथ तत्संबंधी साक्ष्य के तौर पर पूरा ब्यौरा और संबंधित अभ्यर्थी को वक्तव्य यदि कोई हैं, को इस उद्देश्य से परीक्षा नियंत्रक द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र पर उपलब्ध कराए जाएंगे और साथ ही परीक्षक पेपर तैयारकर्ता मूल्यांकनकर्ता परीक्षा नियंत्रक या संस्थान की परीक्षा से जुड़े व्यक्ति जैसा भी मामला हो की प्रति और सभी संबंधित सामग्रियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) किसी अभ्यर्थी को वक्तव्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा लेकिन उसके द्वारा वक्तव्य न दिए जाने के तथ्य को मुख्य अधीक्षक द्वारा अभिलिखित किया जाएगा तथा इस पर घटना के घटित होने के समय ड्यूटी पर तैनात दो अन्य पर्यवेक्षी कर्मचारियों का साक्ष्य लिया जाएगा।

24. अनुशासन समिति:

(1) अनुशासनहीनता के सभी मामले तथा परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग से जुड़े सभी मामलों को एक निदेशक द्वारा नियुक्त समिति जिसे अनुशासन समिति को सौंपे जाएंगे;

(2) इस समिति में पांच सदस्य होंगे जिन्हें संस्थान के अध्यापकों और अधिकारियों में से चुना जाएगा। निदेशक द्वारा उन सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा;

(3) सदस्य की नियुक्ति दो वर्ष के लिए की जाएगी तथा वह पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(4) तीन उपस्थित सदस्यों को गणपूर्ति माना जाएगा।

(5) आमतौर पर सभी निर्णय समिति द्वारा एकमत से या सामान्य बहुमत लिए जाएंगे। यदि सदस्य किसी भी कारण से निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो मामले को निदेशक को सौंप दिया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(6) अनुशासन समिति द्वारा लिए गए सभी विनिश्चयों को अनुमोदन के लिए निदेशक के समक्ष रखा जाएगा;

(7) संस्थान के विनिश्चय की प्राप्ति से एक महीने के अंदर, कोई छात्र मामले के पुनर्विलोकन हेतु लिखित में निदेशक अपील कर सकेगा। यदि निदेशक का यह समाधान हो जाता है कि अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए समुचित कारण है, तो निदेशक मामले को वापस अनुशासन समिति को पुनर्विचार हेतु निर्दिष्ट करेगा।

(8) अनुशासन समिति उप अध्यादेश (i) और (ii) में विर्निदिष्ट मामलों के लिए निम्नलिखित में से किसी एक सजा की सिफारिश कर सकेगी।

(I) अनुशासनहीनता:

(1) अनुशासन तोड़ने और संस्थान में अध्ययन के दौरान चूक की गतिविधियों के लिए दोषी पाए गए छात्रों को जुर्माना, निष्कासन, निर्वासन के रूप में सजा दी जा सकेगी ।

(क) जुर्माना: जुर्माने की राशि पांच हजार रुपए से अनधिक होगी।

(ख) निष्कासन: छात्र को निष्कासन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा में बैठने से निष्कासित किया जा सकेगा और एक निष्कासित छात्र द्वारा विभाग संकायाध्यक्ष और निदेशक की अनुमति से अगले वर्ष में दाखिलों के दौरान संस्थान में फिर से प्रवेश ले सकेगा।

(ग) निर्वासन: किसी छात्र को संस्थान से निर्वासित किया जा सकेगा और उसे संस्थान में फिर से परीक्षा में बैठने या संस्थान में फिर से दाखिले की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) निष्कासन और निर्वासन प्रत्येक मामला तत्काल आदेश दिए जाने के बाद कार्यकारी परिषद् को रिपोर्ट किया जाएगा। इस प्रकार के आदेश को पारित करने से पहले रिपोर्ट के साथ इस आशय का विभागाध्यक्ष संकायाध्यक्ष या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र लगाया जाएगा कि संबंधित छात्र को अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त और न्यायसंगत अवसर दिया गया है।

Indiacode

(II) अनुचित साधन:

अनुचित साधनों की प्रकृति	सजा की प्रकृति	सजा का स्तर
यदि कोई अभ्यर्थी अध्यादेश 2 के उप-अध्यादेश के खंड (i) से खंड (vi) में विर्निदिष्ट अनुचित साधनों में संलिप्त पाया जाता है :	छात्र द्वारा उस सत्र में संस्थान की परीक्षा के लिए जिस विशिष्ट विषय के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है उसके लिए उसकी अभ्यर्थिता को रद्द किया जाना।	1
यदि अभ्यर्थी अध्यादेश 2 के उप-अध्यादेश के खंड (i) से खंड (vi) में विर्निदिष्ट अनुचित साधनों को फिर से दूसरी बार दोहराया जाता है :	छात्र द्वारा उस सत्र में संस्थान की परीक्षा के लिए जिन सभी विषयों के लिए रजिस्ट्रीकृत कराया गया है, उन सभी के लिए उसकी अभ्यर्थिता को रद्द किया जाना और उत्तरवर्ती सत्रों में संस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए उसे विवर्जित किया जाना।	2
यदि अभ्यर्थी अध्यादेश 2 के उप-अध्यादेश के खंड (i) से खंड (vi) में विर्निदिष्ट अनुचित साधनों को फिर से तीसरी बार दोहराया जाता है :	छात्र द्वारा उस सत्र में संस्थान की परीक्षा के लिए जिन समस्त विषयों के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है उन सभी के लिए उसकी अभ्यर्थिता को रद्द किया जाना और संस्थान की परीक्षाओं के लिए बैठने रजिस्ट्रीकरण करने और परीक्षा में बैठने से दो वर्षों के लिए विवर्जित किया जाना।	3
यदि अभ्यर्थी अध्यादेश 22 के उप-अध्यादेश के खंड (vii) से खंड (x) में सूचिबद्ध अनुचित साधनों में संलिप्त पाया जाता है :	छात्र द्वारा संस्थान की जिन परीक्षाओं के लिए उस सत्र में रजिस्ट्रीकृत किया गया है उन सभी विषयों के लिए उसकी अभ्यर्थिता को रद्द करना तथा उसे उत्तरवर्ती सत्र के लिए रजिस्ट्रीकरण करवाने और तत्संबंधी परीक्षा सत्रों में उपस्थित होने से विवर्जित करना।	4
यदि अभ्यर्थी अध्यादेश 22 के उप-अध्यादेश के खंड (xi) से खंड (xviii) में सूचिबद्ध अनुचित साधनों में संलिप्त पाया जाता है :	छात्र द्वारा संस्थान की जिन परीक्षाओं के लिए उस सत्र में रजिस्ट्रीकृत किया गया है उन सभी विषयों के लिए उसकी अभ्यर्थिता को रद्द करना तथा उसे दो उत्तरवर्ती सत्रों के लिए रजिस्ट्रीकृत करवाने और तत्संबंधी परीक्षा सत्रों में उपस्थित होने से विवर्जित करना।	5
यदि अभ्यर्थी अध्यादेश 22 के उप-अध्यादेश के खंड (xix) से खंड (xx) में सूचिबद्ध अनुचित साधनों में संलिप्त पाया जाता है :	छात्र द्वारा संस्थान की जिन परीक्षाओं के लिए उस सत्र में रजिस्ट्रीकृत किया गया है उन सभी विषयों के लिए उम्मीदवारी को रद्द करना तथा उसे दो उत्तरवर्ती सत्रों के लिए रजिस्ट्रीकरण करवाने और तत्संबंधी परीक्षा सत्रों में उपस्थित होने से विवर्जित करना । इसके अलावा यदि कोई बाहरी व्यक्ति शामिल होता है संबंधित विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।	6
यदि अभ्यर्थी अध्यादेश 22 के उप-अध्यादेश 2 में दिए गए अनुचित साधनों में संलिप्त पाया जाता है :	यदि घटना एकल परीक्षा हॉल में घटित होती है; उस हॉल में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों की परीक्षा को रद्द करना। उस हॉल के अधीक्षक तथा दूसरे व्यक्ति जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर परीक्षा कार्य जैसे निरीक्षण, प्रश्न पत्र सेटिग मूल्यांकन आदि	7

	में शामिल हैं उन्हें अगले तीन वर्षों के लिए विवर्जित करना। यदि घटना परीक्षा केन्द्र पर होती है: तो उस केन्द्र में परीक्षा देने वाले छात्रों की परीक्षा को रद्द करना। उस केन्द्र के अधीक्षक तथा दूसरे व्यक्ति जो कि सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर परीक्षा कार्य जैसे निरीक्षण प्रश्न पत्र सेटिंग मूल्यांकन आदि में शामिल हैं, उन्हें अगले तीन वर्षों के लिए विवर्जित करना और अगले दो वर्षों के लिए केन्द्र को रद्द करना।	
यदि अभ्यर्थी अध्यादेश 22 के उप-अध्यादेश (i) के खंड (xxi) में सूचिबद्ध अनुचित साधनों में संलिप्त पाया जाता है।	छात्र के दाखिले को रद्द करना। इसके अलावा यदि कोई बाहरी व्यक्ति शामिल है तो संबंधित विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।	8
यदि कोई अभ्यर्थी अध्यादेश 22 के उप-अध्यादेश (i) के खंड (xxii) में सूचिबद्ध अनुचित साधनों में संलिप्त पाया जाता है।	कूटरचित दस्तावेज को प्रस्तुत करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए छात्र को संस्थान की किसी भी परीक्षा में बैठने और तदनुरूपी अवधि के लिए संस्थान के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश से विवर्जित करना। इसके अलावा यदि कोई बाहरी व्यक्ति शामिल है तो संबंधित विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।	9
यदि कोई अभ्यर्थी अध्यादेश 22 के उप-अध्यादेश (i) के खंड (xxiii) में सूचिबद्ध अनुचित साधनों में संलिप्त पाया जाता है।	जिस प्रमाणपत्र में हेर-फेर किया गया है उसे संस्थान द्वारा रख लिया जाएगा और दस्तावेज को प्रस्तुत करने की तारीख से पांच वर्ष तक कोई अनुकृति दस्तावेज नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई बाहरी व्यक्ति शामिल है, तो संबंधित विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।	10

अध्याय V

छात्र फीस व आवास

25. फीस

अध्ययन कार्यक्रमों में दाखिला पाने वाले छात्रों को निम्न शुल्कों का संदाय करना होगा:

(क) दाखिला प्रक्रिया फीस

(i) आवेदन प्ररूप – विवरणिका और प्रवेश परीक्षा फीस

अनुसुचित जाति और अनुसुचित जनजाति के लिए 100 रु.

और अन्य के लिए 200 रु.

(ii) दाखिला फीस 200 रु.

(iii) रजिस्ट्रीकरण फीस 500 रु.

(ख) कार्यक्रम फीस

(i) ट्यूशन फीस रु. 3000 प्रति सेमिस्टर

(ii) कम्प्यूटर प्रयोगशाला फीस रु. 1000 प्रति सेमिस्टर

(iii) पुस्तकालय फीस रु. 500 प्रति सेमिस्टर

(ग) छात्र कल्याण फीस

चिकित्सा फीस रु. 100

(घ) पाठ्येतर गतिविधियां फीस

(i) खेलकूद फीस रु. 500

(ii) एनएसएस फीस रु. 500

(ङ) जमा प्रतिदाय

(i) अवधाना राशि 1000 रु. (पुस्तकालय)

(ii) अवधाना राशि 1000 रु. (छात्रावास)

(च) प्रकीर्ण फीस

(i) अंक तालिका के लिए फीस 25 रु.

(ii) अनंतिम प्रमाणपत्र के लिए फीस 200 रु.

(iii) डिग्री प्रमाणपत्र की फीस 500 रु.

(iv) अंतरण या प्रवास या समतुल्य प्रमाण-पत्र की फीस 1000 रु.

क. रैंक प्रमाणपत्र 300 रु.

ख. अनुलिपि 500 रु.

ग. वास्तविक प्रमाणपत्र का सत्यापन 1000 रु.

(v) उपस्थिति में माफी के लिए फीस 1000 रु.

(vi) स्नातकोत्तर और पीएचडी शोध निबंध प्रस्तुत करने के लिए फीस 500 रु.

(vii) नाम परिवर्तन के लिए फीस 1000 रु.

(viii)) अंकतालिका की डुप्लीकेट प्रतियां जारी करने के लिए फीस संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त फीस के भुगतान पर) प्रति सेमिस्टर 500 रु. + अन्वेषण फीस

(ix) छात्र सहायता निधि 500 रु.

IndiaCode

26. अनिवासी भारतीय या विदेशी राष्ट्रीक प्रवर्ग के लिए प्रभार्य फीस

(1) अनिवासी भारतीय श्रेणी के अंतर्गत भर्ती किए गए उम्मीदवारों की जिस अध्ययन कार्यक्रम में उनको दाखिला दिया गया है उसके लिए लागू सामान्य फीस के अतिरिक्त प्रति सत्र US$ 2000; (या भारतीय रुपयों में समतुल्य राशि का भुगतान करना होगा।

(2) विदेशी राष्ट्रिक प्रवर्ग के उम्मीदवारों को जिस अध्ययन कार्यक्रम में उनको दाखिला दिया गया है उसके लिए लागू सामान्य फीस के अतिरिक्त प्रति सत्र US$ 3000 ;(या भारतीय रुपयों में समतुल्य राशि) का भुगतान करना अपेक्षित होगा।

(3) सार्क देशों से भर्ती किए गए छात्र को भारतीय छात्रों के समतुल्य सामान्य फीस का भुगतान करेंगे।

(4) विविध फीस के अंतर्गत किसी फीस के भुगतान के लिए उपरोक्त प्रवर्ग (1) और (2) में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को भारतीय छात्रों के लिए भारतीय रुपयों में नियत की गई फीस से तीन गुणा फीस देना होगा।

(5) निदेशक द्वारा गठित समिति समय-समय पर एन आर आई और विदेशी राष्ट्रिक प्रवर्ग के छात्रों के लिए फीस का पुनरीक्षण करेगी।

(6) छात्र द्वारा सत्र शुरू होने पर पहले महीने की 10 तारीख से पूर्व ट्यूशन फीस को जमा करवाएंगे।

(7) वार्षिक फीस का संदाय हर शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत पर किया जाएगा और फीस का भुगतान नकद या संस्थान के निदेशक के नाम देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट या बैंक के माध्यम से धन अंतरण के जरिए किया जाएगा।

(8) यदि कोई छात्र समय पर फीस जमा नहीं करवाता है तो समय-समय पर नियत जुर्माना लगाया जाएगा।

(9) बीस दिन के विहित समय के पश्चात् भी भुगतान न करने वाले व्यक्तियों के नाम नोटिस बोर्ड में लगाए जाएंगे और तत्काल प्रभाव से उनका नाम संस्थान की उपस्थिति पंजी से हटा दिया जाएगा।

(10) ऐसा छात्र जिसका नाम उप-अध्यादेश (ख) के अधीन संस्थान से हटा दिया गया है उसको जुर्माने और अन्य देय बकाया राशि के पूर्ण भुगतान पर निदेशक के अनुमोदन पर और संबद्ध विभागाध्यक्ष तथा संकायाध्यक्ष की सिफारिश पर फिर से दाखिला दिया जाएगा। इसके अलावा अतिरिक्त उसके द्वारा नए सिरे से प्रवेश फीस का भुगतान किया जाएगा।

(11) जब भी कोई छात्र संस्थान से अपना नाम वापस लेने का प्रस्ताव रखता है तो उसे विभागाध्यक्ष या केंद्र के अध्यक्ष के माध्यम से संबंधित स्कूल के संकायाध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें उसके नाम वापस लेने की तारीख का उल्लेख किया जाएगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता/रहती है, तो उसके नाम को संस्थान की पंजी में जिस महीने तक उसने फीस का भुगतान किया है, उसके बाद एक महीने तक की अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा। उसे इस अवधि में देय होने वाले सभी फीस प्रभारों का भी भुगतान करना होगा।

(12) नेत्रहीन छात्रों को सिवाए जमा राशियों के अलावा सभी फीसों के भुगतान से छूट दी जाएगी ।

27. फीस जमा राशि आदि की वापसी:

(1) छात्र द्वारा छोड़कर जाने पर सभी देय राशियों, जुर्मानों और उसके विरुद्ध अन्य सभी दावों की कटौती के बाद जमा राशि को रिफण्ड कर दिया जाएगा।

(2) यदि कोई छात्र संस्थान को छोड़कर जाने के एक वर्ष के भीतर उसके खाते में जमा किसी राशि के प्रतिदाय का दावा नहीं करता है तो राशि को उसके द्वारा छात्र सहायता निधि में समाहित किया हुआ समझा जाएगा।

(3) एक वर्ष की अवधि को छात्र द्वारा दी गई परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख से गिना जाएगा।

(4) यदि कोई छात्र फीस संदाय के पश्चात् कार्यक्रम से अपना नाम वापस ले लेता है तो उसे एक महीने के ट्यूशन फीस, प्रवेश और नामांकन फीस के अलावा सभी फीस और निक्षेपों का प्रतिदाय कर दिया जाएगा बशर्ते उसका आवेदन फीस के भुगतान के 15 दिनों के भीतर प्राप्त कर लिया जाता है।

(5) फीस के भुगतान की अंतिम तारीख की समाप्ति के 15 दिनों की अवधि के बाद नाम वापस लेने के लिए प्राप्त आवेदन की स्थिति में छात्र केवल जमा राशि को ही प्राप्त करने का हकदार होगा।

(6) यदि संस्थान की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के कारण छात्र द्वारा कोई राशि संस्थान को देय है, तो इस राशि को उसे देय निक्षेप में से बकाया ट्यूशन फीस और जुर्माने के साथ काट लिया जाएगा।

28. हॉल टिकट जारी करना

छात्रों को तब तक हॉल टिकट जारी नहीं किए जाएंगे या उन्हें परीक्षा में बैठने की तब तक अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि वह अपनी सभी देय राशियों का भुगतान करके 'अदेयता प्रमाणपत्र' प्रस्तुत नहीं करते।

29. संस्थान में छात्रों का निवास

(1) जैसा कि परिनियम 33 में उपबंधित किया गया है होस्टल के वासियों पर निम्नलिखित नियम लागू होंगे:-

(क) छात्रावास का प्रबन्धन छात्रावास समिति जिसमें वार्डन, सहायक वार्डन और निवासी अध्यापक सदस्य होते हैं।

(ख) संस्थान के किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को छात्रावास में स्वचालित रूप से दाखिला नहीं मिलेगा।

(ग) छात्रावास में दाखिले के लिए आवेदन विहित प्ररूप में किया जाएगा और दाखिला वार्डन के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए किया जाएगा।

(घ) सभी छात्रों को छात्रावास में जगह देने की हर संभव कोशिश की जाएगी।

(ड) छात्रों के निम्नलिखित प्रवर्गों को आवास प्रदान नहीं कराया जाएगा:

(i) जिन्होंने पिछले शैक्षणिक वर्ष के भोजनालय बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है;

(ii) वे छात्र जिन्होंने छात्रावास निक्षेप और स्थापन प्रभारों का पूर्ण से भुगतान नहीं किया है;

(iii) ऐसे छात्र जिनके पास शक्तिशाली वाहन जैसे कि दो पहिया या चार पहिया वाहन हैं।

(2) हर छात्र को छात्रावास में दाखिले से पहले अपने माता-पिता या अभिभावकों द्वारा समर्थित लिखित में एक अभिकथन प्रस्तुत करना होगा कि वह छात्रावास के नियमों का पालन करेगा।

(3) छात्रावास में प्रवेश पाने वाले छात्र उसके आवासी होंगे।

(4) दाखिले से पहले प्रत्येक छात्र को छात्रावास दाखिला फीस, स्थापन और अन्य प्रभारों का भुगतान करना होगा जिनमें समय समय पर पुनरीक्षण किया जा सकता है।

अध्याय V

रैगिंग निरोधी उपाय और यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध

30. रैगिंग निरोधी उपाय:

(1) संस्थान के सभी परिसरों, क्षेत्रीय केन्द्रों के परिसर में साथ ही सार्वजनिक परिवहन में किसी भी प्रकार की रैगिंग कड़ाई से प्रतिषेध है।

(2) क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्ष या संस्थान की विभागाध्यक्ष या संस्थान छात्रावास या निवास हॉल वार्डन जैसी भी स्थिति हो द्वारा रैगिंग की किसी भी जानकारी पर तत्काल कार्रवाई करेंगे तथा इस घटना की एक रिपोर्ट निदेशक को प्रस्तुत करेंगे।

(3) संस्थान के प्राधिकारी या हॉल के वार्डन किसी कारण, जिसे लिखित में रिकार्ड किया जाएगा, से संतुष्ट हैं कि इस प्रकार की छानबीन को समुचित रूप से निष्पादित किया जाना संभव नहीं है, तो वह तदनुसार निदेशक को सलाह दे सकते हैं।

(4) जब निदेशक संतुष्ट हो कि इस प्रकार की जांच करना व्यावहारिक नहीं है, तो वह उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय ले सकता है और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(5) संबंधित प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने या निर्धारित किए गए अनुसार जिसने रैंगिग के होने को उजागर किया गया है निदेशक द्वारा छात्र या छात्रों को विशिष्ट काल के लिए निष्कासित करने के निर्देश दिए जाएंगे या आदेश दिए जाएंगे।

(6) रैगिंग के अपराध के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित सजा या उनमें से किसी सजा को संयोजित रूप से दिया जा सकता है जो कि अपराध की गंभीरता पर निर्भर करेगा, अर्थात्:

(i) किसी छात्र या छात्रों को निष्काषित करने का निर्देश: या

(ii) किसी छात्र या छात्रों को निर्धारित अवधि के लिए संस्थान में अध्ययन क्षेत्रीय केंद्र के कार्यक्रम के लिए दाखिला न दिया जाना; था

(iii) संबंधित छात्र या छात्रों के परीक्षा परिणामों को जिनमें उन्होंने भाग लिया है को रद्द कर दिया जाए।

(7) यदि ऐसे छात्र जिन्होंने संस्थान से डिग्री हासिल की है और रैंगिग के दोषी पाए जाते हैं तो संस्थान द्वारा दी गई डिग्रियों को वापस लेने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी।

(8) इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए रैगिंग को बढ़ावा देना फिर चाहे किसी कार्य, व्यवहार या उत्पीड़न से रैगिंग को बढ़ावा दिया जाए, रैगिंग ही माना जाएगा।

31. यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध

संस्थान के भीतर या संस्थान के बाहर किसी भी स्थान पर या ऐसे स्थान पर जिनका संस्थान के प्रबंधन से कोई संबंध है, पर महिला सदस्यों चाहे छात्र हो या कर्मचारी के साथ उत्पीड़न नहीं होगा।

32. यौन उत्पीड़न निवारक उपाय

निदेशक या संस्थान के समुचित प्राधिकारी ऐसी जगहों या स्थानों और गतिविधियों के दायरों की पहचान करेंगे जहां उत्पीड़न की संभावना है संस्थान के छात्रों के बीच में हो या छात्रों और कर्मचारियों शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी के बीच में हो या उनमें आपस में हो या प्रबंधन के प्रभारी व्यक्तियों/कर्मचारियों के बीच में हो यौन उत्पीड़न की रोकथान को मद्देनजर रखते हुए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएंगी।

33. शिकायत प्रकोष्ठ का गठन

(1) निदेशक अनुशासन के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए एक शिकायत प्रकोष्ठ का गठन करेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :

(i) संस्थान में महिला प्रोफेसर या वरिष्ठतम महिला रीडर, जो कि अध्यक्ष होगी;

(ii) शिक्षण पक्ष के कर्मचारियों में से एक पुरुष सदस्य;

(iii) गैर शिक्षण पक्ष के कर्मचारियों में से एक पुरुष सदस्य;

(iv) एक महिला छात्र;

(v) गैर सरकारी संगठन की एक महिला प्रतिनिधि जो कि सक्रिय रूप से महिलाओं के कल्याण या शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत है;

(vi) गैर-शिक्षण पक्ष की ओर से एक महिला सदस्या; और

(vii) रजिस्ट्रार सदस्य सचिव होगा।

(2) उप अध्यादेश (i) के खंड (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) में को अध्यक्ष से परामर्श करके निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा।

(3) सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा और सदस्य पुन: नामांकन के पात्र होंगे।

(4) शिकायत प्रकोष्ठ में किसी नैमित्तिक रिक्ति को निदेशक द्वारा संबंधित श्रेणी से अध्यक्ष के साथ परामर्श के द्वारा भरा जाएगा।

34. शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा छानबीन किया जाना

(1) लैंगिक उत्पीड़न से कोई व्यक्ति व्यथित होता है तो उसे शीघ्रताशीघ्र और अभिकथित उस लैंगिक उत्पीड़न के घटित होने के पन्द्रह दिनों के भीतर शिकायत प्रकोष्ठ को शिकायत करनी होगी।

(2) शिकायत में अभिकथित लैंगिक उत्पीड़न से लैंगिक उत्पीड़न समस्त सामग्री और संबंधित ब्यौरे के साथ लैंगिक उत्पीड़न करने वाला का नाम शामिल होना चाहिए और शिकायत को शिकायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को संबोधित की जाएगी।

(3) जहां पर शिकायतकर्ता अपनी पहचान नहीं बताना चाहता या चाहती हो तो शिकायत को निदेशक को संबोधित किया जाएगा और उसे व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा अथवा सीलबंद लिफाफे में उसे भेजा जाएगा। इस प्रकार की शिकायत की प्राप्ति पर निदेशक द्वारा मूल शिकायत को अपने पास रखा जाएगा और सभी सामग्रियों और संबंधित ब्यौरे के सार को जिसमें शिकायतकर्ता का नाम या फिर अन्य ब्यौरे जिसमें शिकायतकर्ता की पहचान को प्रकट किया जा सकता है के सिवाय, शिकायत प्रकोष्ठ को भेजा जाएगा।

(4) शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा उप अध्यादेश-3 के अधीन शिकायत या शिकायत के सार को प्राप्त करने के बाद वे जिसे शिकायत प्रकोष्ठ को संबोधित किया गया है और निदेशक से सार शिकायत का सार प्राप्त करने की स्थिति में गोपनीय रूप से इसकी छानबीन की जाएगी।

(5) जहां पर शिकायत प्रकोष्ठ का यह समाधान हो जाता है कि शिकायत न्यायोचित है इसके द्वारा विषय को निदेशक को रिपोर्ट किया जाएगा और वह संबंधित नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की व्यवस्था करेगा।

(6) शास्ति अधिरोपण हेतु निम्नलिखित माध्यम का अनुहरण किया जाएगा, अर्थात् :

(i) चेतावनी

(ii) गंभीर चेतावनी

(iii) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निलंबन

(iv) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए संस्थान से निष्कासन

(v) उचित आपराधिक कार्रवाई के लिए पुलिस में शिकायत करना।

(7) निदेशक उप अध्यादेश-3 के अधीन की गई व्यवस्था और शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना का विस्तृत प्रचार प्रसार करेगा और तत्संबंधी प्रतियों को स्थाई रूप से नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा।

परंतु इस अध्यादेश में कोई भी बात निदेशक को कानून के अंतर्गत कारित अपराध के लिए पुलिस के यहां शिकायत करने से नहीं रोक सकेगी।

[फा. सं. 15-22/2015-आर.जी.एन.आई.वाई.डी.]

गौरव अग्रवाल, निदेशक (युवा कार्यक्रम)

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(Department of Youth Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2016

G.S.R. 170(E).—In exercise of powers conferred by section 34 read with section 33 of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Act, 2012 (35 of 2012), the Academic Council hereby makes the following Ordinances of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, namely:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement**- (1) These Ordinances may be called the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Ordinances, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- (1) In these Ordinances, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Act, 2012 (35 of 2012);

(b) "hostel" means a building for resident of students, and includes Halls of residence.

(c) "ragging" means any act, conduct or practice by which dominant power or status of senior students is brought to bear on junior students, especially those freshly enrolled or students who are in any way considered inferior by other students and includes individual or collective acts or practices which may-

(i) involve physical assault or threat to use of physical force;

(ii) violate the status, dignity and honour of women students;

(iii) violate the status, dignity and honour of students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(iv) expose students to ridicule and contempt and thus affect their self-esteem;

(v) take the form of verbal abuse, aggression, indecent gestures and obscene behaviour.

(d) "Student" means a person admitted to an undergoing a Programme of Study in the Institute, and includes research scholars wherever relevant;

(e) "Sexual harassment" means

commission of any verbal, physical or other conduct including comment, gesture or conduct of sexual nature, individually or collectively by men against women and includes:

(i) eve teasing,
(ii) unwelcome remarks,
(iii) jokes causing or likely to cause awkwardness or embarrassment,
(iv) innuendos and tauntry,
(v) gender based insults or sexist remarks,
(vi) unwelcome sexual overtone in any manner such as over telephone and the like,
(vii) touching or brushing against the body, and the like,
(viii) displaying pornographic or other offensive or derogatory picture, cartoons, pamphlets or sayings,
(ix) forcible physical touch or molestation,
(x) physical confinement against one's will and other acts is tentative to violate ones privacy.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act and the Statutes shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the Statutes.

IndiaCode

CHAPTER II
Admissions, Reservation and Examination

3. **Admission of Students**- (1) Without prejudice to the provisions specified in the Act and Statutes, the admission procedures shall be made in accordance with the Academic Calendar as approved by the Academic Council from time to time.

(2) The number of students to be admitted for various programmes shall be specified by the School Boards of Studies from time to time on the recommendations of the Departments concerned.

(3) The eligibility qualifications for admission to all academic programmes shall be the same as fixed by the Academic Council on the recommendations of various School Boards of Studies.

(4) For admission to the two years Master's Degree Programme, the candidates, who have appeared for Senior Secondary i.e., (+2) or any other examination approved as equivalent thereto, may be considered for provisional admission to the first year of five-year integrated Master's programme, provided they satisfy all other requirements prescribed by the School Boards of Studies and approved by the Academic Council.

(5) Candidates studying in the final year of their qualifying degree programme may be considered for provisional admission to the Master's Degree programme, provided they satisfy all other requirements prescribed by the School Boards of Studies and approved by the Academic Council.

(6) Every student, admitted provisionally to the Master's Degree Programme of the Institute, shall submit copies of the qualifying degree or provisional certificate and such other documents within the specified period, as prescribed by the Academic Council.

(7) For Integrated Master's Degree Programme, students shall be admitted only to the first year of the Programme:
Provided that, lateral extra students may also be considered based on the recommendations of the respective School Boards of Studies.

(8) The admission, provisional or otherwise, of a student who either does not submit the required documents by the specified date or fails to meet any other specified requirement for admission shall be cancelled by the Director.

(9) The admission of a student shall be cancelled by the Director immediately, anytime during the Programme of study, if it is found that the student had furnished false or forged certificates or incorrect statement and documents or suppressed such relevant information in her or his application or if any such irregularity is brought to the notice of authorities of the Institute through any means and after giving such and sufficient opportunity of being heard, the Director shall place a report of such matter before the Academic Council for its decision.

(10) If a student who has been admitted is found medically unfit, his or her admission shall be cancelled.

(11) Admission of students including those nominated by the National Service Scheme and Nehru Yuva Kendra Sangathan shall be on the basis of merit adjudged through entrance test wherever applicable aimed at assessing knowledge, comprehension and aptitude of the students to pursue their higher studies in the Institute and the School Board may stipulate cases when viva or personal interview are required:

Provided that in the case of programmes where the intake of students is small, admission shall be made on the basis of merit adjudged through the marks obtained in the qualifying examination and the decision to this effect shall be taken by the Director on the recommendation of Admission Committee and a report shall be placed before the Academic Council.

(12) The format of the entrance test shall be decided by the Institute and the entrance test shall be held at the headquarters and other places as specified and approved by the Institute from time to time.

(13) The Heads of Departments concerned shall prepare the question bank for the written tests to be forwarded to the Controller of Examinations and the Controller of Examinations shall set the question paper(s) from the question banks received in confidential manner and conduct the written test.

(14) All admissions shall be provisional in the first instance and shall be confirmed within a time limit, as fixed by the Director and no candidate shall claim admission as a matter of right.

(15) No student shall ordinarily be admitted to more than one Programme at a time.

(16) The medium of instruction shall be in english.

Provided that the students admitted to part-time evening Post Graduate Diploma or Diploma or Certificate Programmes are permitted to pursue any regular Programme in Departments or Schools of the Institute or in other Institutions or in regular Programme of the Institute and vice-versa.

(17) Notwithstanding anything contained with the provisions relating to admission, the Institute may make special provision for admission of students of weaker sections of the people and in particular, of the Schedule Castes, Schedule Tribes and other Backward classes.

(18) The Institute may make special provisions for admission of students from non-resident Indian community and foreign students.

4. **Admission Committee:- (1)** There shall be a centralized Admission Committee constituted every year for admission to all the Programmes to regulate the admissions to the Institute which shall consist of the following members namely:-

(a) The Dean of any School to be appointed by the Director as Chairman.

(b) Three teachers nominated by the Director, one each from amongst the Professors, Associate Professors and Assistant Professors by rotation on seniority basis as Members.

(c) In case of non-availability of any teacher from any of the aforesaid categories, the Director may nominate another teacher from the Institute(Member) as alternate members in lieu of Member at clause (b) above.

(d) One person representing the Schedule Castes or the Schedule Tribes or Other Backward Classes or Women faculty shall be nominated by the Director, if not already represented.
Provided that not less than fifty per cent of the total number of Members of the Committee shall form the quorum.

5. **Duties of the Admission Committee:-** (1) The Admission Committee shall have the following duties, namely:-

(a) to scrutinise the Application forms for admission of the candidates in accordance with the eligibility conditions or criteria as prescribed by the respective School Boards from time to time;

(b) to call, after the evaluation of the Entrance test(s), a reasonable number of candidates from each category for admission to the Programme of study concerned, subject to their scoring the minimum cut-off marks or dynamic cut of marks in the entrance test for admission, if any, as prescribed by the Admission Committee.

(c) to prepare the merit list based on the marks obtained by the candidates in the entrance test or interview or both;

(d) to prepare a list of the candidates selected for admission to be submitted by the Chairman of the Admission Committee to the Director for approval.

(2) The Institute may make conditions for admission or enrolment of students to a Programme of research leading to the Doctor of Philosophy.

6. **Readmission of discontinued students**:-(1)Students who have discontinued their studies and who have not taken their Transfer Certificate shall be eligible for readmission in the respective year or semester provided that the total period of break in studies does not exceed two academic years and such students shall remit tuition fee and other dues for the break period and subject to the recommendations of the Admission Committee.

(2) Students who have obtained the Transfer Certificate shall be considered only for fresh admission.

7. **Reservation in Admissions**:-(1) Reservation of seats shall be in accordance with the provisions of the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act 2006 in participant and the Circulars of Government of India issued in this regard from time to time and in particularly,-

(i) applicants seeking admission under the reserved categories shall be required to fulfill the prescribed eligibility conditions for admission to the Programme of study leading to the degree concerned;

(ii) if an applicant in the reserved category qualifies for admission in the general category she or he shall be transferred to the general category without prejudice to the number of seats already allocated in that category, and the seat falling vacant due to such transfer shall be offered to the next eligible candidate in that reserved category;

(iii) if sufficient number of applicants are not available in any of the reserved category including Other Backward Classes or differently abled persons, such vacant seats shall be transferred to the general category.

(2) The reservation is interchangeable, i.e., if sufficient number of applicants are not available to fill up the seats reserved for Scheduled Tribes, they shall be filled up by suitable applicants from Scheduled Castes and vice-versa.

(3) applicants belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward classes and differently abled shall be given relaxation to the extent of five per cent in the aggregate of marks obtained in the qualifying examination.

(4) The application Form of an applicant in aforesaid category shall be submitted along with a Caste Certificate from any one of the authorities prescribed by the Central Government.

(5) An application Form (claiming reservation) without cast certificate shall be rejected.

(6) The Institute shall implement the directives of the Ministry regarding the reservations from time to time.

8. **Special provision for Admission**:- The following shall be the specified provisional for various category for reservation, namely:-

Outstanding Sports Persons:

(a) A specified number of seats in both the under-graduate and post-graduate programmes shall be earmarked by the Academic Council for admission of

outstanding players and sports persons, who have represented their Universities or Region or State, provided that they fulfill the minimum eligibility requirements prescribed for seeking admission to respective programmes.

(b) Relaxation to the extent of five percent of aggregate marks in the qualifying examination shall be given to all such candidates.

(c) The relaxation of marks on the basis of Sports Certificate shall be permissible only on the production of a certificate duly verified by the Physical Director and duly recommended by the Admission Committee.

National Cadet Corps (N.C.C.) Cadets:

(a) Relaxation to the extent of two per cent of aggregate marks in the qualifying examination shall be given to National Cadet Corps Cadets having the following National Cadet Corps Certificates for admission, namely:-

(i) "A" Certificate for admission to an undergraduate Programme;
(ii) "B" or "C" Certificate for admission to a postgraduate Programme.

(b) The relaxation of marks on the basis of National Cadet Corps Certificate shall be permissible only on the production of a certificate duly verified by the National Cadet Corps Officer and duly recommended by the Admission Committee.

National Service Scheme (NSS) Volunteers :

(a) National Service Scheme volunteers who have attended ten days' Special Camps of ten day each and one National Integration Camp or Republic Day Camp shall be provided a relaxation of two per cent of aggregate marks in the qualifying examination for admission to all Programmes.

(b) The relaxation of marks on the basis of National Service Scheme Certificate shall be permissible only on the production of a certificate duly verified by the National Service Scheme Officer or Coordinator and duly recommended by the Admission Committee.

Provided that, such students may be considered by the Director over and above the seats allotted to each Programme, on the recommendation of the Admission Committee.

Note: The relaxation in the minimum prescribed percentage of marks in the qualifying examination for admission to a Programme shall not exceed five per cent in any case.

Foreign Students:

(a) The admission of foreign students shall not exceed twenty per cent of the total number of students as supernumerary seats admitted to a Programme, subject to their qualifying in the Entrance Test and satisfying other conditions as laid down from time to time by the Academic Council.

(b) In addition to the above provision, the foreign candidates sponsored by the respective countries and approved by the Government of India, shall also be admitted as per the conditions provided in various schemes.

(c) Every foreign student shall have to undergo a medical test (including test for AIDS) within a week from the date of admission.

(d) Foreign students admitted to a programme shall produce student visa at the time of admission or within one month after completion of admission and in case of failure to produce such a certificate within the stipulated period, the admission shall stand cancelled.

(e) The foreign nationals shall submit their applications through the Government of India.

CHAPTER III
PROGRAMME AWARDS EXAMINATION ETC.

9. **Programme of Studies:-** There shall be courses and a Programme of Studies in the Institute for awarding Degrees, Diplomas and Certificates as decided by Institute on the recommendation of the School Board of Studies concerned and approved by Academic Council from time to time.

10. **Programme and its Duration:-**

(1) The programme of studies and their duration shall be as follows, namely:-

(i) **Bachelor's Programme**: The duration of the Bachelor's Programme shall be of three years, consisting of six semesters.

(ii) **Five Year Integrated Masters Consisting of Programme**: A Degree Programmes shall be of five years, consisting of ten semesters with exit option after three years (six semesters) leading to the award of the Undergraduate Degree and lateral entry option at the beginning of the fourth year (seventh semester).

(iii) **Master's Programme**: The duration of the Masters Programme (under semester system) shall be such two years, consisting of four semesters;

(iv) **Doctor of Philosophy Programme**: The duration of the Doctor of Philosophy Programme shall be such as prescribed by the University Grants Commission from time to time;

(v) **Diploma and Certificate Programmes:** The duration of the Diploma or Certificate Programme shall be as determined by the Institute and approved by the Academic Council from time to time.

(2) The Institute shall have the power to introduce, modify or discontinue a Programme or Programmes.

11. **Conditions for award of Degrees, Diplomas and Certificates (For Regular on Campus Mode)** : (1) All the Programmes of Study leading to award of Degrees or Diplomas or Certificates shall be conducted by the Schools or Departments established by the Institute.

(2) The structure and regulations for the Programmes of Study shall be as approved by the Academic Council on the recommendations of the School Board concerned.

(3) The syllabi and reading material for each of the courses shall be specified by the respective Departmental Boards.

12. **Attendance**:- A Student shall be required to attend at least ninety per cent of the classes actually held in each subject for any Degree or Diploma or Certificate Programme conducted by the School or Department.
Provided that the Director of the Institute on the recommendations of the Dean of the School concerned may condone the shortage in attendance, not exceeding ten per cent on medical grounds on the production of medical certificate from authorised Medical attendant.
Provided that the Director of the Institute on the recommendations of the Dean of the School concerned may condone the shortage in attendance, not exceeding five per cent for valid and convincing reasons other than medical grounds.
Provided also that students deputed by the Institute to take part in the National or International events be given relaxation shall be available for the days of actual participation in the event, and period for journey for the events with the prior approval of the Director.

13. **Conditions for Award of Fellowships, Scholarships, Endowments, Medals and Prizes**:- **(1)** The Executive Council on the recommendations of the Academic Council may institute such scholarships, fellowships, medals, endowments, stipends and prizes as it deems necessary.

(2) The Academic Council shall specify conditions for the award of scholarships, fellowships, medals, endowments, stipends and prizes and the same shall be subject to the approval by the Executive Council and in case of endowments, the Executive Council shall consider the conditions put forth by the person or body offering the endowment and decide appropriately.

(3) The institute shall have merit scholarships for the first and second rank holders in every Programme of Study and the quantum of amount in such scholarship shall be decided by the Institute from time to time.

(4) All types of scholarships fellowships, free ships, stipends, etc. shall be administered at the Institute level by a Committee constituted by the Director.

14. **Appointment of Examining Bodies, Examiners and Moderators and their duties**:- (1) The panels of Examiners shall be proposed by the School Boards of Studies and recommended by the Academic Council and the selection and appointment of Examiners shall be made in accordance with such procedure, as may be specified by it from time to time.

(2) There shall be two Boards of Examiners for each examination, one for setting and scrutinising the question papers (Board of Paper setters); and the other, for valuation of answer books and tabulating the results (Board of Valuators) and each Board shall have a Chairman.

(3) The Board of Valuators shall forward the consolidated results consisting of continuous assessment and the end-semester examinations to the Controller of Examinations.

(4) The Controller of Examinations shall submit such consolidated results to the Director before the publication of results.

(5) The tenure of the question paper setters shall be for two years which may be considered for another term after an interval of two years.

(6) The Board of Examiners shall be constituted with the Chairman of the Board and two other paper setters to scrutinize the question papers and certify the fulfilment of the requirements of the prescribed pattern and syllabus.

(7) The Board of Valuators consisting of a Chairman and two valuators shall evaluate of the answer scripts of the end-semester examinations of the Institute.

(8) There shall be a central evaluation or door evaluation of all the answer scripts as decided by the Director and the answer scripts shall be evaluated by internal examiner (faculty member who taught the course) and an external examiner nominated by the Director from the panel of examiners approved by the Academic Council.

15. Conduct of Examinations:

(1) The Controller of Examinations shall notify the schedule of examinations and conduct the examinations as per the approved Academic Calendar and curriculum of the courses.

(2) Examinations of the Institute shall be open to regular and eligible students, i.e. such students who have undergone a regular Programme of Study in the Institute for a period specified for that Programme of Study after fulfilling the minimum attendance and after successful completion of the course requirements in respect of the Programme.

(3) The Controller of Examinations shall make all necessary arrangements for the smooth conduct of examinations, timely submission of evaluation and announcement of results, as decided by the Academic Council.

(4) The Controller of Examinations shall follow in to, the instructions given in the "manual for conduct of examinations" for setting up of question papers, valuations, issuance of certificates, grievances, disciplinary proceedings etc.

CHAPTER IV

DISCIPLINE

16. Maintenance of discipline.-(1) Every student of the Institute shall maintain discipline, including observance of good conduct and orderly behaviour in the Institute.

(2) No student shall move around or visit places or areas declared by the Institute for which entry is restricted without proper permission.

(3) Every student shall always carry on her or his Identity Card issued by the Registrar and produce or surrender the same when required by the authorities of the Institute

17. Indiscipline.-All acts unbecoming of a student of the Institute shall be considered acts of indiscipline and which shall include the following, namely;

(i) irregularity in attendance;
(ii) indifference towards work assigned;
(iii) causing disturbance in the class or in the office or in the Library or in the Auditorium or anywhere in the campus;

(iv) disobeying instructions of the teachers or authorities of the Institute;
(v) misconduct or misbehaviour of any kind at the time of election to student bodies or at meetings or during curricular, extra-curricular activities of the student;
(vi) misconduct or misbehaviour at the examination hall towards a teacher or invigilator or employee or visitor to the Institute'
(vii) causing damage to the movable or immovable properties of the Institute;
(viii) inciting other students to indulge in any one or more of aforesaid acts;
(ix) spreading rumours among the students and giving false publicity misleading fellow students;
(x) any act and form of sexual harassment, ragging or discrimination on the basis of cast, category, religion, race and region;
(xi) engaging in unlawful activities which includes membership of banned organizations, organizing meeting and processions without due permission of the competent authorities;
(xii) possession and consumption of alcoholic beverages and contraband intoxicants int he premises of the Institute;
(xiii) consumption of tobacco, Pan masala, Khaini, Gutkha, supari, Zarda and such other substances;
(xiv) smoking in the campus of the Institute; and
(xv) any other conduct anywhere which is considered to be unbecoming of a student.

18. Discipline in hostel.- (1) The Warden, Assistant Wardens and Resident Teachers shall look after the discipline in the hostel.

(2) Shouting, whistling or otherwise causing disturbance in the hostel shall be deemed to be breach of discipline and register shall be maintained for the same in which the violator's name and her or his room number in the hostel shall be noted down and informed to Warden.

(3) Smoking shall be strictly prohibited in the hostels.

(4) Students shall be warned of consequences of possessing of liquor or drinks or being found under their influence and if the breath analyser proves the offence, it will lead to disciplinary action, including expulsion from the hostel.

(5) Inmates shall not be permitted to convene meeting of any nature in the hostel without the Warden's written permission.

(6) Inmates shall not allowed to put up notice without the Warden's written permission.

(7) Inmates shall not interfere with the work of the hostel staff and cases of misconduct, if any, shall only be brought to the notice of the Warden for appropriate action.

(8) Inmates shall not remain in the hostel during class hours and at other times when their presence is expected in the Institution, except with the permission of the Warden.

(9) Audio system, computer and other electrical appliances shall be used only with the prior permission of the Warden and terms and conditions for the use of such appliances shall be stipulated from time to time and shall not be played beyond 9.00 p.m.

(10) A student whose name has been removed from the rolls of the Institution shall by that very fact forfeit the hostel membership and shall vacate the room.

(11) Students shall not possess any powered vehicles.

(12) All inmates are to return to their respective rooms by 8.30 p.m.

(13) The Warden shall exercise all powers to expel a student from the hostel if her or his presence is considered detrimental to the discipline of the hostel.

(14) No male hostellers shall wander around the premises of girls' hostel or vice-versa.

19. Discipline in Mess:

(1) Mess charges shall be based on dividing system.

(2) Inmates or their guests shall not enter the kitchen without permission.

(3) Inmates shall have their food only in the respective messes allotted to them and they shall adhere to the prescribed timings of the mess as notified by the Warden.

(4) Whenever a resident is away from the hostel on valid reason for a period exceeding seven days, reduction in mess charges shall be given only for the number of days in excess of two days, provided the resident shall make an application for reduction in the prescribed form well in advance.

(5) The residents shall pay all the dues in time failing which they have to vacate the hostel:

Provided that they shall be permitted to stay on payment of the dues with such fine for late payment as may be prescribed from time to time in this behalf.

(6) The residents shall have to pay the mess fees and room rent together of the previous month on or before the 10th of succeeding month without fine and with a fine prescribed from time to time on or before the 15th of succeeding month and such defaulters after the 15th shall have to vacate from the hostel and their dues to the hostel shall be adjusted from their deposit amount.

(7) Every student who is staying inside the campus may join the mess regardless of her or his interest.

(8) Mess bills shall be sent to the parents or guardians or student every month, so that they share the responsibility of paying the dues in time.

(9) Mess bill shall have to be paid through the office of Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development.

20. General guidelines:

(1) No person other than those admitted as residents of the hostel shall stay in the hostel premises.

(2) Any one falling sick should use Government Hospital facilities or the nearest health centre at her or his own cost and also inform the warden or resident teacher.

(3) The hostel authorities shall not be held responsible for any loss or theft of the belongings of the residents. The residents shall make their own arrangements for safe custody of the same.

(4) The inmates shall strictly ensure the safety and security of the property of the Institution.

21. Discipline during Examinations.-

I. Entrance test:

(a) During written test for admissions, the candidates shall be under the disciplinary control of the Chief Superintendent of Examinations of the Centre who shall issue the necessary instructions and if a candidate disobeys instructions or misbehaves with any member of the supervisory staff or with any of the invigilators at the Centre, she or he may be expelled from the test for that session.

(b) The Chief Superintendent shall immediately report the facts of such case with details of evidence to the Controller of Examinations who shall refer the matter to the Director for necessary action.

II. End semester examinations:

(a) The end-semester examinations shall be conducted by the Controller of Examinations under the supervision of the Chief Superintendent of Examinations and she or he shall be responsible for the fair and orderly conduct of the examinations.

(b) In case of detection of use of unfair means, the same shall be brought to the notice of the Controller of Examinations for further action who shall refer the matter to the Discipline Committee through the Director for necessary action.

22.Use of unfair means.- (1) The following activities shall be deemed to be unfair means, namely:-

(i) possessing incriminating material related or unrelated to the subject of the examination concerned;

(ii) trying to help other candidates in examination hall;

(iii) consulting other candidates in the examination hall;

(iv) consulting the invigilator for answering the questions in the examination;

(v) pleading for favourable consideration or mercy;

(vi) using of colour thread, or marking any identification with colour pencil;

(vii) writing filthy and unwarranted words in the answer script;

(viii) copying from the possessed material or from a neighbour or inter-changing of answer scripts;

(ix) exchange of answer scripts or relevant materials;

(x) writing candidate's name in any part of the answer script or writing Register number anywhere else other than the required place;

(xi) making plea coupled with promise, if any, for consideration;

(xii) using the help of another person in the malpractice;

(xiii) changing seat for copying;

(xiv) writing some other candidate's register number in the main answer script;

(xv) Inserting pre-written answer sheets (main sheets or additional sheets);

(xvi) threatening the invigilator or exhibiting insubordinate behaviour as reported by the Chief Superintendent or Hall Superintendent or both;

(xvii) using electronic gadgets for the purpose of malpractice;

(xviii) alluring with money (enclosing currency note, etc.);

(xix) taking away the answer script from the Examination Hall wilfully;

(xx) cases of impersonating;

(xxi) tampering with spelling, name or initial, etc. in the certificates issued by other bodies and submission of such certificates at the time of admission in the Institute;

(xxii) tampering with the date of birth in the certificate issued by other Bodies and submission of the same at the time of admission in the Institute;

(xxiii) tampering with the grade certificates or any other certificates issued by the Institute.

(2) Where the invigilator in charge is satisfied that one third or more students were involved in using unfair means or copying in a particular Examination Hall, it shall be deemed to be a case of mass copying.

(3) The Academic Council may also declare any other act of omission or commission to be unfair means in respect of such other examinations conducted by the Institute as it may deem necessary.

(4) If the Director is satisfied that there has been mass-scale copying or use of unfair means on a mass-scale, she or he shall cancel the examination of all the candidates concerned and order re-examination.

23. Procedure for action against unfair means: (1) The Chief Superintendent of the examination centre shall report to the Controller of Examinations without delay in each case where use of unfair means in the examination is suspected or discovered with full details of the evidence in support thereof and the statement of the candidate(s) concerned, if any, on the prescribed format for the purpose, with copy to the examiner, paper-setter, evaluator, moderator or the person connected with examination of the Institute as the case may be, with all the relevant materials.

IndiaCode

(2) A candidate shall not be forced to give a statement, but in case she or he refuses to make a statement, the Chief Superintendent shall record it and thereafter and shall record the statement of at-least two witnesses from the amongst members of the supervisory staff on duty at the time of occurrence of the incident.

24. Disciplinary Committee:- (1) All cases relating to indiscipline and unfair means shall be referred to the "Disciplinary Committee" to be appointed by the Director.

(2) The Committee shall consist of five members from amongst the teachers and officers of the Institute, out of whom one member shall be nominated as Chairman by the Director.

(3) A member shall be appointed for a term of two years, and shall be eligible for re-appointment.

(4) Three members of the disciplinary committee present shall constitute the quorum.

(5) Ordinarily, all decisions shall be taken by the Committee by consensus or by simple majority and if the members are unable to reach a conclusion, the case shall be referred to the Director, whose decision shall be final thereon.

(6) All decisions taken by the Disciplinary Committee shall be placed before the Director for approval;

(7) A student, within one month of the receipt of the decision of the Institute, shall appeal to the Director, in writing, for a review of the case and if the Director is satisfied that there is sufficient reasons for consideration for representation, the Director shall refer the case back to the Disciplinary Committee for reconsideration.

(8) The Disciplinary Committee may recommend one of the following punishments for cases referred to in sub-ordinance (I) and (II), namely:

(I) Indiscipline: (1) Students found guilty of breach of discipline and acts of commission and omission during the Programme of study in the Institute shall be liable for punishment in the form of fine, rustication or expulsion.

(a) Fine: The quantum of fine shall not exceed Rupees Five thousand.

(b) Rustication: The student may be rusticated for one year from appearing in any examination provided from the date of rustication and student may with the permission of the Head of the Department, Dean and the Director re-join the Institute at the time of admission in the following year.

(c) Expulsion: A student may be expelled from the Institute and shall not be allowed to appear for the Examination or for readmission in the Institute.

(2) Each case of rustication or expulsion shall be reported to the Executive Council immediately after the order is passed and a certificate signed by the Head of the Department or Dean or any other competent person to the effect that the student concerned had been given adequate and reasonable opportunity to explain his position before such order was passed shall accompany the report.

(II) Unfair means:

Nature of unfair means	Nature of Punishment	Scale of punishment
If the candidate has indulged in unfair means specified in clauses (i) to (vi) of sub-ordinances (1) of ordinances 22.	Cancel the candidature of the student for the particular subject of the Institute Examination registered by her or him in that session.	1
If the candidate has repeated the unfair means shown in clauses (i) to (vi) of sub-ordinances (1) of Ordinances 22 for a second time.	Cancel the candidature of the student for the Institute Examinations of all subjects registered by her or him in that Session and debar her or him for all Institute Examinations in the subsequent session.	2
If the candidate has repeated the unfair means shown in clauses (i) to (vi) of sub-ordinances (1) of Ordinances 22 for a third time.	Cancel the candidature of the student for the Institute Examinations of all subjects registered by her/him for that session and debar her/him for two years from registering and appearing for the Institute Examinations.	3
If the candidate indulged in unfair means listed in clauses (vii) to (x) of sub-ordinance (1) of Ordinances 22.	Cancel the candidature of the student for the Institute Examinations of all subjects registered by her or him during that semester and debar her or him from registering for the subsequent semester and appearing for the examination sessions thereof.	4
If the candidate indulged in unfair means listed in clauses (xi) to (xviii) of sub-ordinance (1) of Ordinances 22.	Cancel the candidature of the student in the Institute Examinations of all subjects registered by her or him for that session and debar her or him from registering and appearing for the examination sessions for two subsequent semesters.	5
If the candidate indulged in unfair means listed in clause (xix) and (xx) of sub-ordinance (1) of Ordinances 22.	Cancel the candidature of the student in the Institute Examinations of all subjects registered by her or him for that session and debar her or him for two years from registering and appearing for the Institute Examinations. Moreover, relevant legal action shall be initiated if an outsider is involved.	6
If the candidates indulged in unfair means given in sub-ordinance (2) of Ordinances 22.	In case the incident occurred in a single examination hall: Cancel the relevant examination taken by the students of that hall. Debar the Superintendent of the hall and others involved directly or indirectly from the examination work such as invigilation, question paper setting, valuation, etc. for the next three years. In case the incident occured in the examination Centre: Cancel the relevant examination taken by the students of that Centre. Debar the Superintendent of the Centre and others involved directly or indirectly form the examination work such as invigilation, question paper setting, valuation, etc. for the next three years; and cancel the Centre for the next two years.	7
If the candidate indulged in unfair means listed in clause (xxi) of sub-ordinance (1) of Ordinances 22.	Cancel the admission of the student. Moreover, relevant legal action shall be initiated if an outsider is involved.	8

If the candidate indulged in unfair means listed in clause (xxii) of sub-ordinance (1) of Ordinances 22	Debar the student from appearing in any Examination of the Institute for a period of two years from the date of production of the forged documents and from undergoing any Programme in the Institute for the corresponding period. Moreover, relevant legal action shall be initiated if an outsider is involved.	9
If the candidate indulged in unfair means listed in clause (xxiii) of sub-ordinance (1) of Ordinances 22	The tampered Certificate shall be retained in the Institute and no duplicate shall be given for five years from the date of presentation of document. Moreover, relevant legal action shall be initiated if an outsider is involved.	10

CHAPTER V
FEES AND RESIDENCE OF STUDENTS

25. Fees.-Students admitted to the Programmes of Studies shall pay the following fees, namely:

(A) Admission Process fees:

(i) Application Form (with Brochure and Entrance test fee) -Rs. 100 for Scheduled Caste and Scheduled Tribe and Rs. 200 for Others
(ii) Admission fee -Rs. 200/-
(iii) Registration fee -Rs. 500/-

(B) Programme fees:

(i) Tuition Fee -Rs.3000/- per semester
(ii) Computer Lab Fee -Rs.1000/- per semester
(iii) Library Fee -Rs. 500/-

(C) Students Welfare Fee:

Medical Fee -Rs. 100/-

(D) Extra-Curricular Activities Fees:

(i) Sports Fee -Rs. 500/-
(ii) NSS Fee -Rs. 500/-

(E) Deposits (Refundable):

(i) Caution Money (Library) -Rs. 1000/-
(ii) Caution Money (Hostel) -Rs. 1000/-

(F) Miscellaneous Fees:

(i) Fee for Statement of Marks -Rs. 25/-

(ii) Fee for Provisional Certificate -Rs.200/-

(iii) Fee for Degree Certificate -Rs.500/-

IndiaCode

(iv) Fee for Transfer or Migration or Equivalence Certificate -Rs.1000/-

(a) Rank Certificate -Rs.300/-
(b) Transcript -Rs.500/-
(c) Verification of genuine Certificate -Rs.1000/-

(v) Fee for condonation of attendance -Rs. 1000/-

(vi) Fee for submission of dissertation (PG and Ph.D) -Rs. 500/-

(vii) Fee for change of Name -Rs. 1000/-

(viii) Fee for issuing Duplicate of the Copies of the Statement of Marks (on extra payment as specified by the Institute). -Rs. 200/- per semester plus search fee

(ix) Student aid fund -Rs.500/-

26. Fees chargeable from non-resident of India or foreign nationals category.-

(1) Students admitted under the non-resident of India(NRI) category shall be required to pay a sum of US$ 2,000 (or an equivalent sum in Indian Rupees) per semester in addition to the normal fees as applicable to the Programme of Study to which the students admitted;

(2) Students admitted under the Foreign National Category shall be required pay a sum of US$3,000 (or an equivalent sum in Indian Rupees) per semester in addition to the normal fees as applicable to the Programme of Study to which admitted;

(3) Students admitted from South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) countries shall pay normal fee on par with Indian students;

(4) For payment of any fees under "Miscellaneous fees", The candidates listed in categories (1) and (2) above shall be required to remit three times of the fees fixed in Indian Rupees for an Indian student;

(5) A Committee constituted by the Director shall revise the fees for the Non-Resident of India and Foreign national category of students from time to time.

(6) Students shall deposit tuition fee before 10th of the first month on the commencement of the semester.

(7) Annual fees shall be paid at the commencement of each academic year and fees shall be payable in cash or by a Crossed Bank Draft drawn in favour of the Director of the Institute or money transfer through Bank.

(8) If a student does not pay the fees on time, a fine shall be levied as fixed by time to time.

(9) For non-payment of the even after twenty days' of the prescribed time, the names of the defaulters shall be displayed on the Notice Board and shall be removed from the rolls of the Institute with immediate effect.

(10) A student whose name has been removed from the Institute under sub-ordinance (9) shall be readmitted on the recommendation of the Head of Department and Dean concerned with the approval of the Director on payment of the arrears of fees in full along with the fine and other dues and she or he shall, in addition, pay a fresh admission fee.

(11) Whenever a student proposes to withdraw from the Institute, she or he shall submit an application to the Dean of the School concerned through the Head of the Department or Centre intimating the date of her or his withdrawal and if she or he fails to do so, her or his name shall continue to be kept on the rolls of the Institute for a maximum period of one month following the month up to which she or he has paid fees and she or he shall also be required to pay all fees or charges that may fall due during this period.

(12) Visually Impaired students shall be exempted from payment of all fees except the deposits.

27. Refund of fees, deposits, etc.- (1) Deposits are refundable, on an application from the student, on her or his leaving the Institute after deducting all dues, fines and other claims against her or him.

(2) If any student does not claim the refund of any amount lying to her or his credit within one calendar year of her or his leaving the Institute, it shall be deemed to have been forfeited by her or him to the Students Aid Fund.

(3) The period of one year shall be reckoned from the date of announcement of the result of the examination taken by the student.

(4) If, after having paid fees, a candidate withdraws from the programme, he or she shall be refunded all the fees and deposits, except tuition fee for one month, admission fee and enrolment fee, provided her or his application for withdrawal is received within fifteen days of the payment of fees.

(5) Applications for withdrawal received beyond fifteen days of the last date of the payment of fees shall entitle a student for the refund of deposits only.

(6) If a student owes any money to the Institute on account of any damage which he or she may have caused to the Institute property, the said money shall be, along with outstanding tuition fee and fines, if any, deducted from the Deposits due to her or him.

28. Issue of Hall tickets: Students shall not be issued hall tickets or allowed to appear at the examinations unless they have cleared their dues and produce a 'No dues certificate'.

29. Residence of the students in the Institute: (1) Save as otherwise provided in the statutes 33, the following shall be applicable to the inmates of the hostels, namely:-

(a) The hostels shall be managed by the Hostel Committee consisting of Wardens, Assistant Wardens and Resident Teachers.

(b) Admission to the hostels shall not be automatic to all persons admitted to any Programme in the Institute;

(c) Application for admission to the hostel shall be made in the prescribed form and the admissions shall be made subject to the approval of the Warden;

(d) Every effort shall be made to accommodate all the students in the hostel;

(e) The following categories of students shall not be provided accommodation, namely:-

i) students who have not cleared the mess dues of the previous academic year;
ii) students who have not paid hostel deposit and establishment charges in full;
iii) students who are possessing powered vehicles, i.e. two wheelers and four wheelers.

(2) Every student, before being admitted to the hostel, shall give an undertaking in writing, endorsed by the parents or guardian that she or he will abide by the Rules of the hostel;

(3) Students admitted to the hostel shall be boarders thereof;

(4) Before admission, each student has to pay hostel admission fee, hostel deposit, establishment and other charges, which may be revised from time to time.

CHAPTER V
ANTI-RAGGING MEASURES AND PROHIBITION OF SEXUAL HARASSMENT

30. Anti-ragging measures: (1) Ragging in any form is strictly prohibited in all premises of the Institute, within the premises of the Regional Centres as well as on public transport.

(2) The Head of the Regional Centres or the Head of the Department of the Institute or Warden of the Institute hostel or hall of residence, as the case may be, shall take immediate action on any information of the occurrence of ragging and submit a report of the incident to the Director.

(3) If the authority of the Institute or Warden of hostel or hall is satisfied that, for some reason, to be recorded in writing, it is not reasonably practical to hold such an enquiry, she or he may advise the Director accordingly.

(4) When the Director is satisfied that it is not expedient to hold such an enquiry, she or he may take a decision based on the available facts and circumstances and her or his decision shall be final.

(5) On the receipt of a report or a determination by the relevant authority disclosing the occurrence of ragging incidents, the Director shall direct or order rustication of a student or students for a specific period.

(6) The action against those found guilty of the offence of ragging, depending on the severity of the offence, may be given any of the following punishments, or any combination of them, namely:

(i) direct that any student or students be expelled; or

(ii) any student or students be not, for a stated period, admitted to a Programme of study in the Institute / Regional Centre(s); or

(iii) the results of the student or students concerned in the examination or examinations in which they appeared be cancelled.

(7) In case any students who have obtained degrees of the Institute are found guilty of ragging, appropriate action for withdrawal of degrees conferred by the Institute shall be taken.

(8) For the purpose of this Ordinance, abetment to ragging, whether by way of any act, practice or incitement of ragging, shall also amount to ragging.

31. Prohibition of sexual harassment:- There shall be no harassment of women members whether student, or employee within the Institute or in any place away from Institute, if such place has a relevance or any bearing on the relationship on the management of the Institute.

32. Preventive measures of sexual harassment:- The Director or the appropriate authority of the institute shall, take every step to initiate action to identify spots or places and spheres of activity which are prone to harassment whether between students, or between students and employees (teaching and non-teaching staff) of the Institute or between themselves or between persons in charge of management and employee and shall make adequate arrangements with the view to prevent sexual harassment.

India Code

33. Constitution of Grievance Cell :- (1) The Director shall, for the purpose of implementing the discipline, constitute a Grievance Cell which shall consist of the following namely:-

(i) a Woman Professor or Senior most Woman Reader in the Institute who shall be the Chairperson;

(ii) one male member of the employee on the teaching side;

(iii) one male member of the employee on non-teaching side;

(iv) one female student;

(v) one female representative of non-governmental organization actively engaged in the welfare of women or in the field of Education;

(vi) one female member from Non-Teaching side; and

(vii) Registrar shall be the Member Secretary

(2) The members specified in clauses (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) of sub-ordinance (1) shall be nominated by the Director in consultation with the Chairperson.

(3) The term of office for the members shall be for two years and the members are eligible for re-nomination.

(4) Any casual vacancy in the Grievance Cell shall be filled up by the Director in consultation with the Chairperson from the concerned category.

34. Enquiry by the Grievance Cell:- (1) Any person aggrieved of sexual harassment shall prefer a complaint before the Grievance Cell at the earliest point of time and in any case within fifteen days from the occurrence of the alleged sexual harassment.

(2) The complaint shall contain all the material and relevant details concerning the alleged sexual harassment including the name of the harasser(s) and the complaint shall be addressed to the Chairperson of the Grievance Cell.

(3) Where the complainant prefers not to disclose his or her identity, the complaint, shall be addressed to the Director handed over in person, or sent in a sealed cover and upon receipt of any such complaint, the Director shall retain the original complaint and send a gist of the complaint containing all material and relevant details other than the name of the complainant and other details which might disclose the identity of the complainant to the Grievance Cell.

(4) The Grievance Cell upon receipt of any complaint or gist of complaint under sub-ordinance(3) may in case of a complaint addressed to the Grievance Cell and shall in the case of gist of complaint received from the Director, cause an enquiry to be made discreetly.

(5) Where the Grievance Cell is satisfied that the complaint is justified it shall report the matter to the Director who shall institute disciplinary action under the relevant rules.

(6) The following mode shall be followed for imposing penalty, namely:-

i) Warning,
ii) Serious warning,
iii) Suspension for specified period,
iv) Expulsion from the Institute for a specified period,
v) Lodging a complaint with Police for appropriate criminal action.

(7) The Director shall give wide publicity regarding the arrangement made under the sub-ordinance (3) and the establishment of the Grievance Cell shall permanently affix copies thereof in the notice board:

Provided that nothing in this ordinance shall preclude the Director from lodging a complaint directly to the police in respect of any act amounting to an offence under the Law.

[F. No. 15-22/2015-RGNIYD]

GAURAV AGARWAL, Director (Youth Affairs)

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.